म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/रबी विप./403/259 भोपाल,दिनांक 16/03/2020

प्रति,

संयुक्त /उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
.... (समस्त)

विषयः– रबी विपणन वर्ष 2020–21 में रबी फसलो के उपार्जन की तैयारी की समीक्षा बावत।

संदर्भः–1/ उप सचिव मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का मेल क्रमांक/एफ5–1(1–1क)/2020/29– दिनांक मार्च 2020

2/ उप सचिव मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का मेल क्रमांक/एफ5–1(1–1क)/2020/29–1 दिनांक 5.2.2020

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रो का अवलोकन करना चाहेगे। रबी विपणन वर्ष 2020–21 में रबी फसलो के उपार्जन की तैयारी समीक्षा बैठक प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की अध्यक्षता मे आयोजित किये जाने के संबंध मे उप सचिव मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मेल/पत्र प्राप्त हुआ है। छायाप्रति संलग्न है।

2 उप सचिव मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से रबी विपणन वर्ष 2020– 21 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन नीति बावत प्रति प्राप्त हुई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

(अपर संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक F 5-1(1-15)/2020/29-1   भोपाल, दिनांक मार्च, 2020

प्रति,

1 संभागायुक्त,
समस्त, मध्यप्रदेश।

2 आयुक्त-सह्-प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड)।

3 आयुक्त-सह्-पंजीयक,
सह्कारिता।

4 प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन।

5 प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. (मार्कफेड)।

11 समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश।

6 प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन।

7 प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य सह्कारी बैंक (अपेक्स बैंक)।

8 महाप्रबंधक, (क्षेत्र)
भारतीय खाद्य निगम।

9 संचालक,
किसान कल्याण एवं कृषि विकास।

10 नियंत्रक,
नापतौल।

विषय- रबी विपणन वर्ष 2020-21 में रबी फसलों के उपार्जन की तैयारी की समीक्षा बैठक बाबत्।

रबी विपणन वर्ष 2020-21 में रबी फसलों के उपार्जन की तैयारी की समीक्षा बैठक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की अध्यक्षता में निम्नानुसार आयोजित की जाना है :-

क्र.	संभाग	बैठक की तिथि	समय सारणी	स्थान
1.	इन्दौर	06.03.2020	प्रातः 10:00 से 01:00 तक	कलेक्टर कार्यालय इन्दौर
2.	उज्जैन	06.03.2020	दोपहर 03:00 से 06:00 तक	कलेक्टर कार्यालय उज्जैन
3.	भोपाल एवं नर्मदापुरम	16.03.2020	प्रातः 10:30 से 02:00 तक	वल्लभ भवन मंत्रालय के कक्ष क्र. 506 भोपाल
4.	सागर	13.03.2020	प्रातः 10:30 से 01:30 तक	संभागायुक्त कार्यालय सागर
5.	जबलपुर	14.03.2020	प्रातः 10:30 से 01:30 तक	कलेक्टर कार्यालय जबलपुर
6.	ग्वालियर एवं चम्बल	18.03.2020	प्रातः 10:30 से 02:00 तक	संभागायुक्त कार्यालय ग्वालियर
7.	रीवा एवं शहडोल	28.03.2020	प्रातः 10:30 से 02:00 तक	कलेक्टर कार्यालय रीवा

रबी विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जन कार्य की तैयारियों हेतु समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर, उपार्जन कार्य के नियुक्त नोडल अधिकारी (अपर कलेक्टर्स/CEO जिला पंचायत), के साथ-साथ जिले में पदस्थ कृषि, भारतीय खाद्य निगम, खाद्य, सहकारिता, नापतौल, MARKFED, MPSCSC, MPWLC (नोडल अधिकारी), CWC एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको के संभाग एवं जिला अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का कष्ट करें। बैठक का एजेण्डा संलग्न।

कृपया बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(उमाकांत पाण्डेय)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
Mail/3287 दि 3/3/2020
शाखा Add (MIS)
नि.स. प्रबंध संचालक

356 5-3-20

256

पृ. क्रमांक F 5-1 (1-18)/2020/29-1 भोपाल, दिनांक मार्च, 2020

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग।
4. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण।
5. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी मध्यप्रदेश।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय

संभागीय समीक्षा बैठक का एजेण्डा

उपार्जन

1. पंजीयन
   i. पंजीयन केन्द्रों की स्थापना एवं फसल पंजीयन।
2. उपार्जन केन्द्र का निर्धारण एवं संचालन
   i. उपार्जन केन्द्र स्थल का निर्धारण एवं संख्या नियत करना
   ii. उपार्जन संचालन की व्यवस्था बनाना जिसमें भौतिक संसाधन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक तौल-कांटे, वे-ब्रिज एवं सत्यापन स्थिति आदि सम्मिलित है।
   iii. मानव संसाधन।
   iv. अन्य सुविधाओं की स्थिति।
3. खरीदी केन्द्र की SMS व्यवस्था एवं उपार्जन व्यवस्था।
4. बारदाना व्यवस्था।
5. गुणवत्ता नियंत्रण एवं सर्वेयर एप का प्रशिक्षण।
6. परिवहन व्यवस्था-सेक्टर, एग्रीमेन्ट।
7. भण्डारण व्यवस्था
   i. उपलब्ध रिक्त भण्डारण क्षमता
   ii. निर्मित किये जाने वाले गोदाम, केप, सायलों आदि की प्रगति।
   iii. खरीदी केन्द्र एवं गोदाम की मैपिंग.
8. भुगतान व्यवस्था
   i. JUST In Time Payment System.
   ii. Billing System
   iii. किसान, समितियों, परिवहनकर्ता, गोदाम संचालक के बैंक खाता सत्यापन।
9. पर्यवेक्षण
   i. सीमावर्ती जिलों में अन्य राज्यों के स्कंध पर रोक हेतु दलों का गठन।
   ii. रि-साईकिलिंग की रोकथाम के उपाय।
   iii. रबी 2020-21 हेतु समिति को प्रशिक्षण एवं भारतीय खाद्य निगम के साथ संयुक्त निरीक्षण हेतु दलों का गठन।
   iv. साख-सीमा की स्वीकृति।
10. विगत खरीफ एवं रबी विपणन मौसम की Recompilation स्थिति
   i. उपार्जन एवं परिवहन अंतर तथा परिवहनकर्ता पर कमी का दायित्व निर्धारण/स्वीकृति पत्रक/कमी स्थिति एवं दायित्व निर्धारण/ WHR कमी की स्थिति दायित्व निर्धारण।
   ii. कृषक भुगतान एवं की गई कार्यवाही/समिति का भुगतान एवं की गई कार्यवाही।
   iii. परिवहनकर्ता भुगतान/देयतायें/पेनाल्टी।
   iv. भण्डारण संस्थाओं के भुगतान।
   v. मार्कफेड एवं वेयरहाउस के लंबित भुगतान की स्थिति।
   vi. MPSCSC के लंबित दायित्वों एवं वसूली की स्थिति।
11. TPDS
   i. TPDS अंतर्गत राशन सामग्री का अग्रिम उठाव एवं वितरण
   ii. पात्र परिवारों का सत्यापन अभियान
   iii. TPDS संबंधी अन्य महत्वपूर्ण विषय।

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5-1(1-1क)/2020/29-1 भोपाल, दिनांक 15, फरवरी 2020

प्रति,

1. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश
2. प्रबंध संचालक एवं आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, भोपाल
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भोपाल
6. महाप्रबंधक (क्षेत्र) भारतीय खाद्य निगम भोपाल
7. प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
8. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
9. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
10. प्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नाफेड), इन्दौर

विषय- रबी विपणन मौसम 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन नीति।

1. पृष्ठ भूमि:

1.1. भारत सरकार द्वारा रबी विपणन मौसम 2020-21 के लिए औसत अच्छी गुणवत्ता (FAQ) के गेहूं का समर्थन मूल्य रू. 1925 प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।

1.2. समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु कार्यवाही परिशिष्ट-1 में दी गई समय-सीमा में की जाए।

2. उपार्जन अवधि:

2.1. गेहूं का उपार्जन 25 मार्च, 2020 से 22 मई, 2020 तक की अवधि में किया जाएगा।

2.2. उपार्जन के साप्ताहिक कार्य दिवस निम्नानुसार होंगे:-

i. कृषकों से उपार्जन कार्य सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) किया जाएगा; तथा

ii. शनिवार एवं रविवार को सप्ताह में शेष स्कंध का परिवहन, भण्डारण, लेखा का मिलान तथा गुणवत्ता विवाद के आधार पर अस्वीकृत स्कंध का अपग्रेडेशन/वापसी का निराकरण किया जाएगा।

2.3. यदि किसी केन्द्र पर अधिकांश कृषकों के द्वारा विक्रय पूर्ण कर लिया गया हो तो संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा निर्धारित 'Exit Protocol' के अनुरूप उपार्जन कार्य 2 सप्ताह बाद स्थगित किया जा सकेगा।

2.4. 3,000 मे.टन से कम उपार्जन मात्रा के केन्द्र पर व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु, जिला उपार्जन समिति द्वारा कम अवधि का उपार्जन कार्य संचालक, खाद्य से अनुमोदन प्राप्त करते हुए अधिसूचित किया जाएगा।

3. उपार्जन एजेंसी का निर्धारण एवं क्रियान्वयन तंत्र:

3.1. विगत वर्षों में उपार्जन के अनुभव अनुसार पंजीकृत किसानों एवं सत्यापित रकबे के औसत उत्पादन के 60% को रबी विपणन मौसम वर्ष 2020-21 हेतु समर्थन मूल्य पर गेहूं की मात्रा का उपार्जन अनुमान माना जावेगा, किन्तु प्रारंभिक तैयारी में बारदाना गणना हेतु कृषि विभाग/गिरदावरी से भी अनुमान प्राप्त किया जाएगा। अनुमानित उपार्जन मात्रा अनुरूप केन्द्रवार अनुमानित आवक का आंकलन किया जावेगा। इस अनुमानित मात्रा के अनुसार जिलों में बारदाना, साख-सीमा उपयोग, परिवहन, भण्डारण, निस्तारण एवं पर्यवेक्षण आदि की व्यवस्था हेतु संबंधित जिले की उपार्जन एजेंसी उत्तरदायी रहेगी।

3.2. भारत सरकार द्वारा रबी विपणन मौसम वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य गेहूं उपार्जन हेतु राज्य हेतु निर्धारित मात्रानुसार किया जाएगा। पंजीयन के आधार पर उपार्जन एजेन्सियों द्वारा केन्द्रवार एवं जिलेवार आवक का आंकलन किया जायेगा। इस अनुमानित मात्रा के अनुसार जिलों में बारदाना, साख-सीमा, परिवहन, भण्डारण, निस्तारण एवं पर्यवेक्षण आदि की व्यवस्था बनाने के लिए संबंधित जिले की उपार्जन एजेंसी उत्तरदायी रहेंगी।

3.3. उपार्जन हेतु तीन उपार्जन एजेंसियां यथा- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (MARKFED), मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन (MPSCSC) एवं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. NAFED) होगी। MARKFED एवं MPSCSC के मध्य जिलों का विभाजन विगत वर्ष अनुसार होगा। दोनों उपार्जन एजेंसियों से विचार-विमर्श उपरांत नाफेड को गेहूं उपार्जन का कार्य आवश्यकतानुसार दो जिले में पायलट के रूप में दिया जा सकेगा।

3.4. भारत शासन को लेखा एवं दावे प्रस्तुत करने तथा वित्तीय संव्यवहार की व्यवस्था हेतु नोडल राज्य उपार्जन एजेंसी MPSCSC होगी, जिसमें लेखा संबंधी दावे प्रस्तुत करने की आटोमेटेड व्यवस्था रहेगी।

3.5. उपार्जन एजेन्सियों द्वारा जिलों में उपार्जित स्वीकृत गेहूंको निस्तारण हेतु वितरण एजेन्सी को परिदान दिया जायेगा। PDS में वितरण मात्रा का जिलेवार निर्धारण संचालक खाद्य द्वारा किया जाएगा तथा अतिशेष गेहूं का निस्तारण MPSCSC द्वारा FCI को परिदान देकर किया जाएगा।

3.6. भण्डारण कार्य हेतु मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कार्पोरेशन (MPWLC) राज्य नोडल एवं समन्वयक एजेन्सी होगी।

3.7. उपार्जन केन्द्र निर्धारित संस्थाओं द्वारा संचालित होंगे। उपार्जन कार्य हेतु पात्र सहकारी समितियां उपलब्धन होने पर NRLM के पंजीकृत स्व-सहायता समूहों जिनके द्वारा विगत तीन वर्ष में माइक्रो क्रेडिट से ईतर काम किया गया हो एवं वन मण्डलाधिकारी द्वारा अनुशंसित संयुक्त वन प्रबंधन समिति तथा उपायुक्त/सहायक आयुक्त, सहकारिता द्वारा अनुशंसित जिला थोक उपभोक्ता भंडार जिनके पास उपार्जन कार्य हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध हो अथवा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा केश क्रेडिट सीमा स्वीकृत की गई हो, को दिया जा सकेगा।

3.8. जिला उपार्जन समिति के अध्यक्ष/कलेक्टर द्वारा उपार्जन प्रबंधन स्वयं के नेतृत्व में किया जाएगा। इस कार्य हेतु किसी अन्य अधिकारी को डेलिगेट नहीं किया जाएगा, उनके द्वारा प्रत्येक केन्द्र हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जो उस केन्द्र की गतिविधियों के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी होगा।

3.9. राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर उपार्जन प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण का दायित्व क्रमशः राज्य स्तरीय उपार्जन समिति, संभाग स्तरीय उपार्जन समिति तथा जिला स्तरीय उपार्जन समिति का होगा।

3.10. उपार्जन एवं भुगतान की समस्त व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत करने का दायित्व संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अधीन 'End-to-End Computeration' के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का होगा, जो कि e-Uprajan, Civil Supplies Monitoring System

(CSMS), Warehousing Management System (WHMS) तथा Public Distribution System (PDS) एवं JIT के साफ्टवेयर एप्लीकेशन के निर्धारित प्रोटोकाल अनुसार किया जाएगा, जिसमें राज्य सूचना अधिकारी (NIC)द्वारा पर्याप्त तकनीकी व्यवस्था बनाई जावेगी एवं संचालक, खाद्य द्वारा प्रत्येक साफ्टवेअर हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएगें। ई-उपार्जन एवं JIT में NIC स्तर से डाटा में संशोधन/विलोपन की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाए।

3.11. नियंत्रक, नापतौल द्वारा इलेक्ट्रानिक तौल कांटों के मानक एवं कैलिब्रेशन तथा प्रमाणीकरण के सिद्धांत निर्धारित कर जिलों को निर्देश जारी किये जाएंगे। नियंत्रक, नापतौल द्वारा सभी मण्डियों, उपार्जन केन्द्रों एवं भण्डारण केन्द्रों के नापतौल उपकरणों एवं धर्म-कांटों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण कार्य अपने कार्यपालिक अमले से कराया जाएगा। सत्यापन एवं प्रमाणीकरण कार्य उपार्जन प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व पूर्ण कराकर 'e-Uprajan' में दर्ज कराया जाएगा। धर्मकांटो की Geolocation भी PMU द्वारा निर्धारित IT Tools में ली जाएगी।

पंजीयन-उपार्जन केन्द्र स्थल, संस्थाओं का आवंटन एवं उनके दायित्वों का निर्धारण

4. पंजीयन केन्द्र-स्थल का चयन:

4.1. सामान्यत: 20 हजार जनसंख्या (वर्ष 2011 की ग्रामीण जनसंख्या) के आधार पर प्रत्येक जिले के लिए पंजीयन केन्द्र संख्या की गणना संचालक, खाद्य द्वारा किया जाएगा। कृषक पंजीयन संख्या एवं उस केन्द्र पर अनुमानित उपार्जन मात्रा के आधार पर तदोपरांत पात्र केन्द्रों को उपार्जन केन्द्र के रूप में निर्धारित किया जा सकेगा।

4.2. पंजीयन केन्द्र स्थल का निर्धारण जिला उपार्जन समिति द्वारा 'ई-उपार्जन साफ्टवेयर'(e-Uparjan) में निम्न मापदण्डों के दृष्टिगत निर्धारण किया जाए:-

i. तहसीलवार केन्द्र संख्या, ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में हो; तथा

ii. तहसील के बड़ी जनसंख्या वाले ग्राम चिन्हित करने उपरांत उनसे 5-10 पंचायतों को संबद्ध करें, जिससे कृषकों को सामान्यत: पंजीयन हेतु 25 कि.मी. से अधिक दूरी न तय करनी पड़े।

4.3. वे संस्थाऐं (जिनके द्वारा विगत वर्ष गेहूं उपार्जन किया गया हैतथा इस वर्ष में वे पात्र हों) के द्वारा पंजीयन किया जा सकेगा। पंजीयन केन्द्र login से भू-स्वामी, सिकमी, कृषक एवं वन पट्टाधारी का पंजीयन किया जा सकेगा। आशय यह है कि सिकमी कृषक एवं वन पट्टाधारी का पंजीयन मात्र पंजीयन केन्द्र पर ही हो सकेगा।

4.4. पंजीयन हेतु वही सहकारी संस्थाऐं पात्र होगी जो कि इस रबी विपणन वर्ष में गेहूं उपार्जन हेतु पात्र हों। इन संस्थाओं को ई-उपार्जन पोर्टल पर NIC द्वारा पंजीयन केन्द्र निर्धारण हेतु DSO login में प्रदर्शित कराया जाएगा, जिसमें संस्था के प्रबंधक, बैंक खाते, कम्प्यूटर आपरेटर आदि का विवरण जिला उपार्जन समिति के अनुमोदन उपरांत DSC/DSO द्वारा अपने login से प्रविष्ट करेंगे।

उपार्जन केन्द्र स्थल का चयन-

4.5. उपार्जन केन्द्र स्थल चयन की प्रक्रिया 'Procurement Centre Protocol' के अनुरूप होगी, जिसमें पंचायत की मैपिंग का आधार विगत वर्ष का legacy data, भण्डारण स्थल, PDS भण्डारण केन्द्र एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 12(2)(छ) के अनुरूप विकेन्द्रीकृत स्थानीय वितरण (TPDS) आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

i. Procurement Center Protocol की मुख्यडाटा इन्ट्री DSO login से संचालित होगी। उपार्जन केन्द्र एवं भंडारण स्थल की जियो-लोकेशन PMU द्वारा निर्धारित IT Tools में ली जाएगी।

ii. इस संबंध में संचालक, खाद्य द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए जाऐंगे।

4.6. पंजीयन उपरांत कृषक संख्या एवं अनुमानित उपज मात्रा ज्ञात होने पर केन्द्र निर्धारण हेतु संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा प्रत्येक जिले हेतु अधिकतम केन्द्रों की संख्या नियत की जाएगी, जिसका आधार पंजीयन संख्या, क्षेत्रफल एवं विगत वर्षों में विक्रय का trend होंगे।

4.7. उपार्जन केन्द्र प्राथमिकता से गोदाम परिसर में ही स्थापित किये जाये जिससे कृषकों का भुगतान त्वरित हो सकेगा। गोदामों की अनुपलब्धता होने की दशा में ही केन्द्र को गोदाम परिसर से ईतर स्थापित किया जायेगा।

4.8. उपार्जन केन्द्र स्थल का निर्धारण जिला उपार्जन समिति द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा:-

i. सामान्यतः गोदाम परिसर पर खोला जाए;

ii. केन्द्र पर पूर्ण पंचायत ही टैग की जाए;

iii. प्रत्येक तहसील में कम से कम एक केन्द्र खोला जाए;

iv. कृषकों की संख्या यथासंभव 200 से 750 तक रखी जाए, पंचायत क्षेत्र की पूर्णता संख्या के दृष्टिगत संचालक, खाद्य कृषक संख्या में कमी अथवा वृद्धि 50% तक कर सकेगें;

v. सामान्यतः केन्द्र पर 3,000 से 5,000 मे.टन मात्रा का उपार्जन किया जाए, जिसमें 50% तक की कमी एवं वृद्धि संचालक, खाद्य द्वारा की जा सकेगी;

vi. यथासंभव सम्बद्ध मेप किये गये पंचायतों के केन्द्र बिन्दु में हो तथा उपार्जन केन्द्र चयन में भौगोलिक दृष्टि से समीपस्थ ग्राम पंचायत को चयन किए जाने का विशेष ध्यान रखा जावें, जिससे कृषकों को सामान्यतः 25 कि.मी. से अधिक की दूरी तय न करनी पड़े;

vii. जिन जिलों में गेहूं का पंजीयन कम हुआ हो, वहां मंडी स्तर पर कम से कम एक केन्द्र खोला जाए, जिसमें न्यूनतम किसान संख्या तथा दूरी का बंधन नहीं रहेगा;तथा

viii. जिला उपार्जन समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि केन्द्र पर न्यूनतम 3,000 मे.टन गेहूं का उपार्जन हो, इससे कम उपार्जन की संभावना होने पर आय-व्यय का आंकलन कर ही केन्द्र प्रस्तावित किया जाए।

उपार्जन केन्द्र संचालन हेतु संस्थाओं की पात्रता एवं चयन प्रक्रिया-

4.9. केन्द्र संचालन के लिये उपार्जन एजेंन्सियों के जिला अधिकारी द्वारा संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाएगे। सामान्यतः एक पात्र संस्था द्वारा अधिकतम दो उपार्जन केन्द्र का संचालन किया जाएगा केन्द्रों का संचालन निम्न पात्र संस्थाऐं कर सकेंगी:-

i. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं/वृहत्ताकार कृषि साख सहकारी संस्थाओं/आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाएं;

ii. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयन सहकारी संस्थाएं के आदेश क्र. विपणन/2013/869, दिनांक 27.05.2013 में उल्लेखित ब्लाक स्तरीय विपणन सहकारी संस्थाएं;

iii. उपार्जन कार्य हेतु पात्र संस्था उपलब्ध न होने पर NRLM के पंजीकृत स्व-सहायता समूहों जिनके द्वारा विगत तीन वर्ष में माइक्रो क्रेडिट से ईतर काम किया गया हो, को कार्य सौंपा जा सकेगा।

iv. वन मण्डलाधिकारी द्वारा अनुशंसित वनोपज सहकारी समिति; तथा

v. उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता द्वारा अनुशंसित जिला थोक उपभोक्ता भंडार जिनके पास उपार्जन कार्य हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा केश क्रेडिट सीमा स्वीकृत की गई हो।

4.10. जिला उपार्जन समिति द्वारा निम्न आधार पर संस्थाओं की पात्रता की जांच की जाएगी:-

i. संस्था के पास पर्याप्त भौतिक एवं वित्तीय संसाधन तथा साख सीमा (अनुमानित उपार्जन के

प्रासंगिक एवं कमीशन मूल्य का 100%) उपलब्ध हों;

ii. विगत दो खरीफ विपणन वर्ष (2018-19 व 2019-20) एवं दो रबी विपणन वर्ष (2018-19 एवं 2019-20) में संतोषजनक कार्य किया गया हो, जिसके अनुसार :-

क. उपार्जित मात्रा एवं स्वीकृत मात्रा में 0.25% से अधिक का अंतर न हो;

ख. अमानक स्तर की उपार्जन मात्रा कुल उपार्जन मात्रा की 1% से अधिक न हो;

ग. प्रमाणित गंभीर अनियमितता, प्रथम सूचना रिपोर्ट व कृषक भुगतान में विलंब न हो;

घ. ऑफलाईन मोड में कार्य न किया हो; तथा

ङ. परिवहनकर्त्ता को स्कंध बिना तौले सौंपा अथवा परिवहन न किया गया हो।

iii. नवीन संस्था जिसके पास पर्याप्त संसाधन हो, तथा कर्मचारी एवं प्रबंधक पूर्व वर्षों में अपात्र संस्थाओं में कार्यरत न रहे हों;

iv. पूर्व की किसी अपात्र संस्था के आपरेटर एवं केन्द्र प्रभारी को किसी अन्य संस्था में उपार्जन कार्य हेतु नहीं रखा जाएगा; तथा

v. विस्तृत निर्देश आयुक्त, सहकारिता से परामर्श कर संचालक, खाद्य द्वारा जारी किए जाएं।

4.11. जिला स्तर पर जांच एवं चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:-

i. DM-MPSCSC, DMO-MarkFed, जिला प्रभारी-MPWLC, GM-DCCB एवं DSO से संस्थाओं की पात्रता के संबंध में विमर्श कर उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया हो;

ii. जिला उपार्जन समिति की उप-समिति (DRCS, GM-DCCB, DM, DSC/DSO) सभी पात्र संस्थाओं की समीक्षा/रेकिंग कर उपयुक्त संस्था के चयन हेतु कलेक्टर को प्रस्ताव प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त करेगी। यदि आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तब भी कलेक्टर द्वारा स्वयमेव परीक्षण अनुसार उपयुक्त संस्था को कार्य दिया जा सकेगा; तथा

iii. जिले में पर्याप्त संख्या में खरीदी केन्द्र संचालन हेतु संस्थाऐं उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयुक्त सहकारिता से परामर्श उपरांत, जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संचालक, खाद्य द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु शिथिलताऐं प्राप्त की जा सकेंगी।

पंजीयन/उपार्जन केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक भौतिक एवं मानव संसाधन-

4.12. संचालक खाद्य, आयुक्तसहकारिता एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन (MD, MPSCSC), के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी पत्र क्र. 1491 दिनांक 27.02.2019 के अनुसार निर्धारित स्पेसिफिकेशन की भौतिक, मानव संसाधन, तौल-कांटा तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता प्रत्येक केन्द्र पर संचालन करने वाली संस्था के द्वारा परिशिष्ट-2 अनुसार सुनिश्चित की जाएगी।

4.13. गोदाम स्तर पर स्थापित उपार्जन केन्द्रों पर मैकेनाईज्ड ग्रेडिंग एवं पैकिंग हेतु MPWLC द्वारा राज्य उपार्जन समिति के अनुमोदन से निर्देश जारी किये जाएंगे तथा व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। गोदाम स्तर पर स्थापित उपार्जन केन्द्रों पर गोदाम संचालक तथा उपार्जन समिति के मध्य कार्यो का विभाजन जिला उपार्जन समिति द्वारा किया जाएगा तथा कार्य के अनुसार राशि का भुगतान राज्य उपार्जन समिति द्वारा निर्धारित मानक अनुसार किया जाएगा।

संस्थाओं की भूमिका -

4.14. संस्थाओं को मुख्यत: उपार्जन केन्द्र पर मानव, भौतिक, तकनीकी एवं संबंधित संसाधन उपलब्ध कराने के साथ साथ उपार्जन की व्यवस्था तथा वित्तीय प्रबंधन से जुड़े हुए विभिन्न कार्य करने होते है। उपार्जन एजेन्सी को अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु उपार्जन केन्द्र संचालन के लिए संस्थाओं से क्या

अपेक्षाएं हैं, के निर्देश संबंधित प्रबंध संचालकों से विमर्श कर संचालक, खाद्य द्वारा जारी किए जाएंगे।

4.15. प्रत्येक केन्द्र स्तर पर संस्था प्रमुख के दायित्व निम्नानुसार होगें:-

i. क्रियान्वयन हेतु सूचना प्रदर्श, वाहन पार्किंग, उपार्जन सुविधा केन्द्र (Facilitation cell), खरीदी क्षेत्र, बारदाना स्टेसिंल एवं अस्थाई भण्डारण क्षेत्र तथा जन सुविधा क्षेत्र विभाजन एवं व्यवस्था करना;

ii. निर्धारित सूचनाओं के बैनर/पोस्टर, महत्वपूर्ण सूचनाएं, टोल फ्री नंबर आदि का प्रदर्शन करना;

iii. कृषकों को अनावश्यक लंबी कतारों में प्रतीक्षा न करनी पड़े तथा आवेदन फार्म भरने, जानकारी उपलब्ध कराने तथा टोकन आदि जारी करने हेतु facilitation counter स्थापित करना;

iv. निर्धारित भौतिक संसाधन तथा प्रमाणीकृत चालू अवस्था में उपकरण उपलब्ध कराना;

v. निर्धारित मानव संसाधन नियोजित/नामित करना तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिलवाना जिससे वे अपना कार्य दक्षतापूर्ण कर सके;

vi. बारदानों का बेहतर प्रबंधन करना जिसमें प्राप्तियां एवं उपयोग, बारदाने केंद्र से बाहर किसी अन्य व्यक्ति/संस्था आदि को न देना, बोरे पर नीले रंग की स्याही से निर्धारित स्टेन्सिल- जिसमें संस्था के नाम एवं उपार्जन वर्ष का उल्लेख हो तथा टेग जिसमें संस्था एवं विक्रेता किसान के पंजीयन क्रमांक अंकित हो, लगाना;

vii. FAQ संतुष्टि के उपरांत तौल करनातथा निर्धारित स्टेण्डर्ड वजन के अनुसार बारदाने भरना;

viii. कम्प्यूटराईज्ड प्रिंटेड रसीद, जिसमें देय राशि का उल्लेख आदि हो, हस्ताक्षर कर किसान को देना;

ix. परिवहनकर्ता को संस्था द्वारा धर्मकांटे (जिला उपार्जन समिति द्वारा मेप्ड) से तौल कर उपज देना होगी। धर्मकांटा मेप्ड न होने की दशा में उपज शत-प्रतिशत अथवा सेम्पल के रूप में तौल कर (दोनों पक्षों की संतुष्टि उपरांत) दी जावेगी। उपार्जन केन्द्र से स्कंध की लदाई (तौल उपरांत) एवं गोदाम स्तर पर उतराई (तौल उपरांत) के मध्य कमी उपार्जन एजेन्सी के परिवहनकर्ता के पेटे होगी;

x. भण्डारण एजेन्सी के निर्देशानुसार स्कन्ध को स्टेकिंग लगाकर विधिवत् अस्थाई भंडारण करना;

xi. अस्थाई भण्डारण स्थल से वाहन में हैण्डलिंग कर भरे बोरों की लदाई करवाना;

xii. समस्त संव्यवहारों को कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन करना तथा किसी प्रकार का deviation न करना;

xiii. वित्तीय प्रबंधन हेतु प्रांसगिक, प्रशासनिक, हैण्डलिंग एवं अस्थाई भण्डारण हेतु अनुमानित खरीदी के अनुपात में पर्याप्त साख-सीमा रखना,

xiv. भुगतान के समस्त व्यवस्था को राज्य नोडल एजेन्सी के द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार करना:

क. किसानों को समयावधि में 'Just in Time' (JIT) से ऑनलाईन बैंकिंग से डिजिटल भुगतान,

ख. लेबर एवं अन्य वेण्डरों के भुगतान निर्धारित डिजीटल व्यवस्था से करना,

ग. प्रासंगिक, प्रशासनिक, लोडिंग-अनलोडिंग, हैण्डलिंग आदि की राशि JIT से प्राप्त करना;

घ. डाटा इन्ट्री आपरेटर का मानदेय (उपार्जन अवधि+अतिरिक्त 15 दिवस) भुगतान JIT से करना,

xv. सहीं वित्तीय संव्यवहार हेतु व्यय,रिकॉर्ड एवं लेखांकन कम्प्यूटरीकृत निर्देशों के पालन में करना,

xvi. संस्था द्वारा समस्त संव्यवहारों को निर्धारित डिजीटल प्रोटोकाल के अनुरूप ही किया जाएगाएवं समस्त नामित/नियोजित मानव संसाधन की जानकारी ऑनलाईन प्रिविष्टी की जावेगी;

xvii. संचालक, खाद्य द्वारा निर्धारित उपार्जन प्रक्रिया के फ्लो चार्ट का पालन करना;

xviii. Non-FAQ खरीदी के विवादों में अपग्रेडेशन, निस्तारण जिला उपार्जन समिति/उपखण्ड-स्तरीय समिति द्वारा सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा;

xix. कठिनाईयों का निराकरण जिला उपार्जन समिति द्वारा कराना, तथा

xx. विवादों का निराकरण आर्बिटेशन में कलेक्टर की मध्यस्थता से सुलझाना।

4.16. प्रत्येक केन्द्र हेतु संचालन करने वाली संस्थाएं लिखित में पृथक पृथक केन्द्रवार अनुबंध करेंगी, जिसमें संस्था एवं एजेन्सी के दायित्व तथा देयताओं का स्पष्ट उल्लेख होने के साथ साथ विवादों के निराकरण की व्यवस्था भी बनाई जावेगी:-

i. मॉडल अनुबंध को राज्य उपार्जन समिति में विचार विमर्श के उपरांत आयुक्त-सह-पंजीयक सहकारी संस्थाऐं एवं संचालक खाद्य के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा;

ii. अनुबंध संस्था एवं जिले की उपार्जन एजेंसी के मध्य लिखित में होगा; तथा

iii. जिन गोदाम/स्टील सायलो/सायलो बैग/केप परिसर में उपार्जन किया जाना है, वहां गोदाम के संचालक, उपार्जन संस्था के प्रबंधक एवं राज्य उपार्जन एजेन्सी के जिला अधिकारी के मध्य त्रि-पक्षीय अनुबंध होगा।

iv. उक्तानुसार अनुबंध उपार्जन कार्य प्रारम्भ होने के 7 दिवस पूर्व निष्पादित किए जाएंगे।

4.17. गोदाम/केप स्तरीय उपार्जन केन्द्रों पर संस्था एवं वेयर हाउस संचालक के मध्य संपादित किए जाने वाले कार्यों के विभाजन हेतु निर्देश संचालक, खाद्य द्वारा जारी किए जाएंगें।

4.18. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा प्रत्येक केन्द्र पर कलेक्टर द्वारा नामित नोडल अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ पर्यवेक्षण किया जाएगा।

5. कृषकों के पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया:

5.1. प्रदेश में केन्द्र शासन की "विकेन्द्रीयकृत उपार्जन योजना" अंतर्गत रबी मौसम में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जाती रही है, जिस हेतु कृषकों का पंजीयन किया जाता रहा है।

5.2. विगत रबी एवं खरीफ की भांति इस वर्ष भी किसान पंजीयन को ई-गिरदावरी के सत्यापित भू-अभिलेख के डाटाबेस आधारित किया जाएगा। किसान की भूमि एवं फसल के बोए गए रकबे की जानकारी ई-गिरदावरी डाटाबेस से ली जाएगी, जिससे पुन: सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी। संयुक्त खातेदार कृषक को अनुपातिक रकबे अनुसार पृथक-पृथक पंजीयन कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

5.3. चूंकि पंजीयन गिरदावरी के आधार पर होगा, इसलिये यह आवश्यक हो जावेगा कि कृषक अपने रिकार्ड की पुष्टि ई-गिरदावरी से करले, जिस हेतु खाद्य विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों को एसएमएस के माध्यम से एवं कलेक्टर द्वारा जिले में समस्त कृषकों को जागरूक किया जाए। दावा- आपत्ति की निर्धारित समय-सीमा एवं पंजीयन की तिथियां में रिकार्ड सही कराना अनिवार्य होगा।

5.4. विगत खरीफ की भांति पंजीयन के साधन विस्तारित किये गये है, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन एवं वेब एप्लीकेशन भी सम्मिलित हैं। अधिक से अधिक कृषक स्वयं पंजीयन कर सके, इस हेतु सरल वीडियो Tutorial आदि का उपयोग करते हुये कृषकों को स्व-पंजीयन हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

5.5. पंजीयन में नवीन साधनों के दृष्टिगत प्रत्येक स्तर पर Orientation, प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण की सघन आवश्यकता होगी। कृषकगण पंजीयन निर्धारित समय से करा लें, इस हेतु पंचायतों, ग्रामसभाओं, प्राथमिक सहकारी संस्थाओं एवं SMS के माध्यम से भी आवश्यक सूचनाओं का संचार किया जाना आवश्यक होगा। प्रभावी सूचना संचार हेतु निम्न का ध्यान रखा जाए:-

i. विभाग एवं एनआईसी के द्वारा SMS भेजने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।

ii. प्रभावी प्रचार सामग्री पूर्व से तैयार की जाए;

iii. समस्त स्टेक होल्डर का उन्मुखीकरण एवं मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण किया जाए;

iv. राज्य स्तर से Orientation वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से किया जाए;

v. मोबाइल एप के उपयोग हेतु विभागीय/पंजीयन वेब साईट पर भी सूचना दी जाए।

5.6. पंजीयन की अवधि-

i. किसान पंजीयन दिनांक 01 फरवरी से 28 फरवरी, 2020 तक किया जाएगा।

ii. केन्द्रों पर प्रात: 10 से सायंकाल 06 बजे तक शासकीय कार्य दिवसों में ही पंजीयन किया जाएगा।

पंजीयन के साधन

5.7. कृषकों को अधिक सशक्त करने, संस्थाओं, डाटा एन्ट्री आपरेटर पर निर्भरता तथा पंजीयन केन्द्रों पर कार्य के दबाव को कम करने के लिए भू-स्वामियों को पंजीयन के निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे:-

i. एमपी किसान एप;

ii. ई-उपार्जन मोबाइल एप;

iii. पब्लिक डोमेन में ई-उपार्जन पोर्टल पर।

iv. विगत वर्ष के रबी उपार्जन करने वाली पात्र संस्थाओं के मुख्यालय पर (पात्रता का आधार कंडिका-4 अनुसार) होगा।

5.8. उपरोक्त पंजीयन साधनों का उपयोग कृषकों द्वारा व्यक्तिगत मोबाइल एवं कम्प्यूटर के अतिरिक्त व्यक्तिगत अथवा बाहय स्थानों से भी किया जा सकेगा। साथ ही, पंजीयन केन्द्र login से भू-स्वामी, सिकमी कृषक एवं वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन किया जा सकेगा।

5.9. पात्र संस्थाओं के द्वारा पंजीयन किया जा सकेगा। पंजीयन केन्द्र login से भू स्वामी, सिकमी, कृषक एवं वन पट्टाधारी का पंजीयन किया जा सकेगा। आशय यह है कि सिकमी कृषक एवं वन पट्टाधारी का पंजीयन मात्र पंजीयन केन्द्र पर ही हो सकेगा।

5.10. पंजीयन केन्द्र संचालन हेतु विगत वर्ष रबी में उपार्जन करने वाली संस्थाओं का पुन: परीक्षण किया जाएगा तथा जो संस्थाऐं निम्न मापदण्डो की पूर्ति नहीं करेगी, वे पंजीयन हेतु पात्र नहीं होगी:-

i. विगत दो खरीफ विपणन वर्ष (2017-18 व 2018-19) एवं दो रबी विपणन वर्ष (2018-19 एवं 2019-20) में संतोषजनक कार्य किया गया हो, जिसके अनुसार :-

क. उपार्जित मात्रा एवं स्वीकृत मात्रा में 0.25% से अधिक का अंतर न हो;

ख. अमानक स्तर की उपार्जन मात्रा कुल उपार्जन मात्रा की 1% से अधिक न हो;

ग. प्रमाणित गंभीर अनियमितता व कृषक भुगतान में विलंब न हो;

घ. ऑफलाईन मोड में कार्य न किया हो; तथा

ड. परिवहनकर्ता को स्कंध बिना तौले सौंपा अथवा परिवहन न किया गया हो।

ii. नवीन संस्था जिसके पास पर्याप्त संसाधन हो, तथा कर्मचारी एवं प्रबंधक पूर्व वर्षो में अपात्र संस्थाओं में कार्यरत न रहे हों; तथा

iii. पूर्व की किसी अपात्र संस्था के आपरेटर एवं केन्द्र प्रभारी को किसी अन्य संस्था में पंजीयन कार्य हेतु नहीं रखा जाएगा।

5.11. जिला स्तर पर DM-MPSCSC, DMO-MarkFed, जिला प्रभारी-MPWLC एवं GM-DCCB से संस्थाओं की मापदण्ड पूर्ति के संबंध में विचार-विमर्श कर उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया हो।

5.12. जिले में पर्याप्त संख्या में पंजीयन केन्द्र संचालन हेतु पात्र संस्थाऐं उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयुक्त, सहकारिता से परामर्श उपरांत, जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संचालक, खाद्य द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु शिथिलताऐं की जा सकेंगी।

5.13. पात्र संस्थाओं को ई-उपार्जन पोर्टल पर NIC द्वारा पंजीयन केन्द्र निर्धारण हेतु DSOlogin में प्रदर्शित कराया जाएगा, जिसमें संस्था के प्रबंधक, बैंक खाते, कम्प्यूटर आपरेटर आदि का विवरण जिला उपार्जन समिति के अनुमोदन उपरांत DSC/DSO द्वारा अपने login से प्रविष्ट करेंगे।

5.14. रबी हेतु सभी कृषकों (नवीन एवं पुराने) को पंजीयन कराना आवश्यक है, जिससे किसान पंजीयन पर्ची के आधार पर उपार्जन किया जा सकेगा।

5.15. पंजीयन हेतु कृषक को निम्न जानकारी से अवगत कराया जाना आवश्यक होगा, यह जानकारी उपयुक्त स्वरूप में संचालक, खाद्य द्वारा किसान पंजीयन पर्ची में भी अभिलिखित कराई जाए :-

i. पंजीयन के समय कृषक को मूलभूत जानकारी में नाम, समग्र आईडी नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, बैंक का IFSC, मोबाइल नंबर, विक्रय तिथियों के 3 विकल्प देने होंगे।

ii. वन पट्टाधारी एवं सिकमी काश्तकार को छोड़कर अन्य कृषकों को दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं होगा, तथापि कृषक को यह पुष्टि कर लेनी चाहिए कि उसकी जानकारी सही स्वरूप में दर्ज हुई है क्योंकि उपार्जन के समय मूलभूत जानकारी में संशोधन के विकल्प की सुविधा केन्द्र स्तर पर उपलब्ध नहीं होती है।

iii. किसान को उपनी उपज विक्रय के समय नीचे लिखे दस्तावेजों को उपार्जन केन्द्र पर जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी पुष्टि उपार्जन के समय उपार्जन केन्द्र प्रभारी को रिकार्ड से करना होगी। यह जानकारी किसान पंजीयन पर्ची में अभिलिखित करते हुए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए:-

- ✓ आधार कार्ड की प्रति;
- ✓ बैंक पासबुक की प्रति;
- ✓ समग्र सदस्य आईडी की प्रति (न होने की दशा में PAN CARD की प्रति)
- ✓ वनाधिकार पट्टाधारी को पट्टे की प्रति
- ✓ सिकमीदार किसानों को सिकमी अनुबंध की प्रति;
- ✓ किसान पंजीयन पर्ची का हस्ताक्षरित प्रिन्ट आउट;

5.16. वन पट्टाधारी एवं सिकमी काश्तकार का पंजीयन चूंकि पंजीयन केन्द्र पर ही सम्भव है। अतः ऐसे सभी काश्तकारों को पंजीयन के समय ही कंडिका-5.1 के सभी दस्तावेजों के साथ-साथ अनुबंध अथवा पट्टे की प्रति भी उपलब्ध करानी होगी।

5.17. विगत पंजीयत कृषकों का मूलभूत डाटा पूर्व से प्रदर्शित होगा, जिसमें परिवर्तन एवं संशोधन की कार्यवाही OTP आधारित e-authentication प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकेगा।

5.18. किसानों को भुगतान JIT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाना है। इस कारण किसान पंजीयन में केवल राष्ट्रीयकृत एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं के एकल बैंक खाते ही दर्ज किए जाएं तथा जनधन, ऋण, नाबालिग, बन्द एवं अस्थायी रूप से रोके गए खाते (विगत 6 माह से क्रियाशील नहीं हो) आदि पंजीयन में न दर्ज कराने हेतु पंजीयन करने वाले आपरेटर द्वारा किसान को पंजीयन के समय अवगत कराया जाए तथा इस आशय की सूचना भी पंजीयन केन्द्र पर प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

5.19. पंजीयन में दर्ज किसान का नाम,बैंक खाता व IFSC का मिलान NPCI के माध्यम से किए जाने की समानांतर व्यवस्था संचालक, खाद्य,NIC एवं MPSCSC के द्वारा कराई जाएगी। यदि को-आपरेटिव बैंक के खातों के सत्यापन में कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं तो अपेक्स बैंक द्वारा GM, DCCB के माध्यम से इन खातों का साप्ताहिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।

5.20. पंजीयन की प्रक्रिया-

विगत वर्ष के पंजीकृत किसानों हेतु-

i. ई उपार्जन पोर्टल एवं एमपी किसान एप पर रबी विपणन वर्ष 2020-21 के अंतर्गत पंजीयन मास्टर पर दो विकल्प उपलब्ध होंगे यथा- विगत वर्ष के पंजीकृत किसान एवं नवीन किसान पंजीयन;

ii. विगत वर्ष के पंजीकृत किसान के विकल्प पर क्लिक करने के उपरांत निम्न विकल्प प्रदर्शित होंगे;
   - मोबाईल नंबर;
   - समग्र सदस्य आईडी,
   - विगत रबी मौसम के किसान पंजीयन कोड।

iii. उक्त में से कोई भी एक विवरण दर्ज करने पर किसान का नाम, भूमि का विवरण, बोई गई फसल, बैंक खाता, आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा;

iv. किसान का नाम, बैंक खाता, मोबाईल नंबर की जानकारी विगत वर्ष के ई उपार्जन किसान पंजीयन डाटा से तथा भूमि का रकबा एवं बोई गई फसल का विवरण इस वर्ष की गिरदावरी से लिया जाएगा;

v. उक्तानुसार किसान की जानकारी कम्प्यूटर स्क्रीन पर अथवा एप की दशा में मोबाईल की स्क्रीन पर पंजीयन के समय प्रदर्शित होगी, जिसे किसान द्वारा भी देखा जा सकेगा, जिसमें उन्हें उपज विक्रय करने की अधिकतम 3 दिनांक तथा संभावित विक्रय मात्रा को अंकित करना होगा; तथा

vi. किसान को SMS एवं ई उपार्जन पोर्टल से प्रिन्टेट रसीद के माध्यम से सूचित किया जा सकेगा।

नवीन किसानों हेतु-

vii. नवीन किसानों का पंजीयन, मोबाईल एप एवं वेब एप्लीकेशन में दी गई प्रक्रिया अनुसार भरनी होगी;

viii. किसान का नाम, बैंक खाता,IFSC, शाखा का नाम, मोबाईल नंबर, फसल विक्रय हेतु 3 दिनांक, विक्रय योग्य मात्रा की जानकारी प्रविष्ट करनी होगी; तथा

ix. किसान की भूमि का रकबा एवं फसल का विवरण गिरदावरी से लिया जाएगा।

एमपी किसान एप एवं ई उपार्जन मोबाईल एप पर पंजीयन-

x. एमपी किसान एप एवं ई उपार्जन पंजीयन एप को ई उपार्जन एन्ड्रायड बेस्ड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा;

xi. एप डाउनलोड होने के उपरांत किसान पंजीयन हेतु सर्वप्रथम ग्राम एवं खसरा का चयन करना होगा;

xii. खसरे में उल्लेखित रकबा एवं फसल से सहमत होने पर कृषक आधार नंबर से OTP आधारित सत्यापन किया जाएगा एंव कृषक मोबाइल, आधार नंबर एवं बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि की जाएगी।

5.21. उक्त प्रविष्टियों के उपरांत किसान एप के Data-Custodian राजस्व विभाग द्वारा वेब सर्विस के माध्यम से ई-उपार्जन में डाटा प्रेषित किया जाएगा जिसे real time monitoring की व्यवस्था हो सके।

5.22. समग्र सदस्य आईडी किसान की पंजीयन यूनिक आईडी होगी। इस वर्ष रबी विपणन मौसम में किसान पंजीयन कोड, समग्र सदस्य आईडी होगी, जो भविष्य के पंजीयन में भी उपयोग की जा सकेगी।

5.23. किसान की भूमि एवं बोई गई फसल की प्रविष्टि राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी में की जाती है। गिरदावरी से किसान को किसी प्रकार की आपत्ति होने पर गिरदावरी में ही दावा-आपत्ति कर त्रुटि सुधार का प्रावधान राजस्व विभाग द्वारा किया गया है। पंजीयन के समय भूमि के रकबे एवं फसल के सत्यापन से सहमत होने पर ही पंजीयन मान्य किया जाएगा। पंजीयन की पुष्टि OTP से की जावेगी, जिसकी दावा आपत्ति प्राप्त नहीं की जाएगी।

5.24. वन पट्टाधारी कृषकों का सत्यापन-

i. पूर्व में वन विभाग के साथ किए गए परामर्श अनुसार वनाधिकार पट्टाधारी किसानों के रकबे एवं बोई गई फसल का सत्यापन की प्रक्रिया के निर्देश विगत रबी उपार्जन के समय जारी किए गए थे। इस वर्ष भी उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा; तथा

ii. संचालक, खाद्य द्वारा उक्त सत्यापन कार्य हेतु नई तिथियों के साथ पुनः निर्देश जारी किए जाएंगे।

5.25. दावा आपत्ति-

i. किसान गिरदावरी में दर्ज भूमि एवं बोई गई फसल से संतुष्ट न होने पर किसान के पंजीयन के पूर्व किसान द्वारा भूमि एवं बोई गई फसल में संशोधन हेतु गिरदावरी में दावा आपत्ति उपार्जन कार्य प्रारंभ होने के पूर्व करना होगी; तथा

ii. दावा आपत्ति का निराकरण होने एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान की संशोधित जानकारी आने पर पंजीयन किया जा सकेगा।

6. गुणवत्ता एवं नियंत्रण:

FAQ मापदण्ड-

6.1. समर्थन मूल्य पर गेहूं की एक समान विनिर्दिष्टियां (Uniforms Specifications) भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) के द्वारा निर्धारित FAQ Norms के स्कंध का उपार्जन किया जाएगा।

जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण-

6.2. FAQ के अनुरूप उपार्जन का दायित्व संबंधित उपार्जन केन्द्र चलाने वाली संस्था का है, इस हेतु उनके द्वारा निम्न कार्यवाही अपेक्षित है: -

i. किसानों के हित में समर्थन मूल्य एवं FAQ का व्यापक प्रचार-प्रसार करना;

ii. किसानों को उपज सूखी, साफ एवं छन्ना लगी हुई लाने हेतु प्रेरित करना;

iii. उपार्जन केन्द्र पर FAQ अनुसार नमूने प्रदर्शित करना;

iv. सामान्य जानकारी हेतु उपार्जन केन्द्र पर FAQ गुणवत्ता संबंधी बैनर का प्रदर्शन;

v. केन्द्र पर मेकेनिकल ग्रेडिंग, बड़े छन्ने, पंखे जैसे सफाई एवं FAQ जांच के उपकरण रखना;

vi. प्रत्येक केन्द्र हेतु प्रशिक्षित गुणवत्ता परीक्षकनियोजित/नामित एवं उपस्थित रखना;

vii. गुणवत्ता सर्वेयर एप में सर्वेयर/प्रभारी का नाम, मोबाईल नम्बर को पंजीकृत करना; तथा

viii. Non FAQ गेहूं को रिजेक्ट कर कृषक को अपग्रेड करने हेतु समझाईश देना तथा अमान्य उत्पाद का सेम्पल रखना;

6.3. उपार्जन एजेंसी गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यवेक्षण, FAQ खरीदी हेतु सभी स्तरों पर निम्न व्यवस्था करेंगी:-

i. जिला स्तर पर खाद्य, सहकारिता एवं उपार्जन एजेंसी द्वारा साप्ताहिक रेण्डम चेकिंग करना एवं रिपोर्ट जिला उपार्जन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना;

ii. संभाग के जिलों में नियमित भ्रमण तथा गुणवत्ता परीक्षण को संभागीय उपार्जन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना; तथा

iii. मुख्यालय स्तर से नियमित टीम के माध्यम से सतत् पर्यवेक्षण करना तथा रिपोर्ट राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

6.4. Non FAQ उपार्जन करने की दशा में प्राथमिक दायित्व संस्था प्रबंधक तथा उपार्जन केन्द्र प्रभारी का होगा, जिसकी समस्त वसूली उनसे की जावेगी, जिससे कृषकों के व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग

यथा सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग अथवा वन विभाग द्वारा कराई जा सकें। संस्था से प्राप्त Non FAQ स्कंध का पृथक से भण्डारण कराया जाएगा, जिसे प्रति शनिवार संस्था को अपग्रेड/निराकरण करने हेतु हैण्डओवर किया जाएगा। संग्रहण, घटती एवं अपग्रेडेशन प्रक्रिया के विस्तृत निर्देश आयुक्त सहकारिता द्वारा जारी किए जाएंगे तथा जिला उपार्जन समिति द्वारा इसकी साप्ताहिक समीक्षा की जावेगी।

6.5. कलेक्टर द्वारा संबंधित विभागों/संस्थाओं के मैदानी अमले के माध्यम से किसानों के हित में निम्न व्यवस्थाऐं सुनिश्चित की जाएंगीः-

i. FAQ मानक की उपज समर्थन मूल्य से कम पर मंडी में किसी भी स्थिति में विक्रय न हो;

ii. मंडी में समर्थन मूल्य से कम पर विक्रय होने वाली Non FAQ उपज का सेम्पल (कृषक नाम सहित) सचिव, कृषि उपज मंडी द्वारा रखकर जिला उपार्जन समिति को सूचित किया जाये;

iii. उपार्जन केन्द्रों पर Non FAQ उपज के सेम्पल कृषक नाम सहित, संधारित करते हुए संस्था प्रभारी द्वारा केन्द्र के नोडल अधिकारी के माध्यम जिला उपार्जन समिति को सूचित किया जाये तथा इसकी जानकारी को 'Day Closure Protocol' में अनिवार्यतः इन्द्राज किया जाए; तथा

iv. उपार्जन केन्द्र स्तरीय नोडल अधिकारी, खाद्य, सहकारिता, कृषि एवं कलेक्टर द्वारा निर्देशित किसी भी विभाग के अनुविभाग/तहसील स्तरीय अमले द्वारा गुणवत्ता का सतत् पर्यवेक्षण किया जाए।

गुणवत्ता परीक्षकों का नियोजन एवं पर्यवेक्षण -

6.6. गुणवत्ता को जांचने हेतु हर स्तर पर प्रशिक्षित परीक्षक का नियोजन/नामांकन निम्नानुसार की जायेः-

i. उपार्जन संस्था द्वारा- उपार्जन केन्द्र गोदाम परिसर से इतर स्थापित केन्द्रों पर गुणवत्ता की जांच हेतु प्रभारी व्यक्ति नामांकित/नियोजित किया जाएगाः-

क. संस्था द्वारा नियोजित व्यक्ति संस्था गुणवत्ता परीक्षक तथा नामित व्यक्ति गुणवत्ता प्रभारी कहलाएगा;

ख. गुणवत्ता परीक्षण उपरांत सर्वेयर एप में दर्ज परिणामों के आधार पर स्कन्ध Non FAQ पाए जाने पर उसी स्कन्ध की पुनः जांच की पुनरावृति के संबंध में संचालक, खाद्य द्वारा निर्देश जारी किए जाएंगे;

ग. सर्वेयर एप में स्कंध की परीक्षण उपरांत पाई स्थिति को दर्ज करने पर Non FAQ स्कंध पाये जाने पर संबंधित कृषक को SMS के माध्यम से सूचना देने की व्यवस्था बनाई जाएगी;

घ. गोदाम/गोदाम स्तरीय केन्द्रों पर भण्डारण/उपार्जन एजेन्सी द्वारा उपज गुणवत्ता परीक्षण हेतु नवीन तकनीक का उपयोग भी किया जा सकेगा;

ङ. यदि उपार्जन केन्द्र प्रभारी को ही गुणवत्ता प्रभारी का कार्य दिया जाता है तो केन्द्र प्रभारी को एक ही कार्य का मानदेय दिया जा सकेगा, दोहरा मानदेय देय नहीं होगा;

च. जिन उपार्जन केन्द्रों पर विगत वर्षों में Non FAQ स्कन्ध संबंधी अधिक शिकायतें प्राप्त हुई है वहां पर केन्द्र प्रभारी से पृथक व्यक्ति को गुणवत्ता परीक्षक का दायित्व सौंपा जाए, ऐसे केन्द्रों हेतु उपार्जन एजेंसियों के द्वारा नियत आउटसोर्सिंग एजेंसी से लिए गए सर्वेयर की सेवाऐं समिति द्वारा ली जा सकेगी उनका मानदेय उपार्जन एजेंसी को प्राप्त प्रशासकीय व्यय से भुगतान किया जाएगा। किन उपार्जन केन्द्रों पर सर्वेयर लगाया जाना है, उसका निर्धारण राज्य उपार्जन एजेंसी द्वारा किया जाएगा जिसकी अधिकतम संख्या 300 तक हो सकेगी; तथा

छ. गुणवत्ता प्रभारी अथवा परीक्षक को प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा।

ii. उपार्जन केन्द्रों पर परीक्षण में पाए गए Non FAQ स्कन्ध को अपग्रेड करने हेतु custom hiring

center पर उपलब्ध साधनों द्वारा स्कन्ध को अपग्रेड करने की सुवधि कृषि विभाग से समन्वय कर जिला उपार्जन समिति कर सकेगी;

iii. उपार्जन एजेंसी द्वारा- गोदाम परिसर केंद्र स्तर पर तथा मैदानी जांच हेतु पर्याप्त संख्या में जिला स्तर पर नियोजन करना जिससे उपार्जित स्कन्ध के भंडारण करने के पूर्व गुणवत्ता परीक्षण किया जा सके, इस पर होने वाले व्यय की पूर्ति एजेंसी के प्रशासकीय व्यय से की जा सकेगी;

iv. भण्डारण एजेंसी द्वारा- WHR पर FAQ/Grade के मापदण्ड उल्लेखित किया जाए, इस पर होने वाले व्यय की पूर्ति भण्डारण एजेंसी को प्राप्त भण्डारण शुल्क से की जा सकेगी;

v. भंडारण एजेंसी द्वारा भी गोदाम/कैप स्तर पर पृथक से गुणवत्ता सर्वेयर नियुक्त किए जाएं, इस पर होने वाला व्यय भंडारण एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा;

vi. वितरण एजेन्सी द्वारा आवश्यकता अनुसार गुणवत्ता सर्वेयरों का नियोजन/नामांकन (भण्डारण/उपार्जन एजेन्सी के साथ यथा संभव विचार-विमर्श उपरांत) किया जाएगा जिससे डिपोजिट में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को नगण्य किया जा सके; तथा

vii. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा- मुख्यालय से गुणवत्ता की जांच करने हेतु राज्य स्तरीय संयुक्त टीम जिसमें यथासंभव FCI के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, गठित की जाएंगी जो समय-समय पर पंजीयन उपार्जन की तैयारी से संग्रहण तक के उपार्जन कार्य का निरीक्षण करेंगी तथा प्रतिवेदन संचालक, खाद्य के माध्यम से शासन को प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे। इसका व्यय उपार्जन एजेंसी के प्रशासनिक मद पर भारित होगा।

6.7. उपार्जन केन्द्र पर किसान के उपज की गुणवत्ता की जांच सर्वेयर एप के माध्यम से की जाएगी एवं FAQ मानक की उपज की ही कृषक तौलपर्ची एवं तुलाई हो सकेगी। सर्वेयर एप से गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया एवं प्रोटोकॉल संचालक, खाद्य द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा। गुणवत्ता परीक्षण हेतु नामित/नियोजित कर्मचारियों के नाम एवं मोबाईल नंबर पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

6.8. उपार्जन केन्द्र स्तर पर संस्थाओं को मेकेनाईज्ड सफाई, बैंगिंग एवं हेण्डलिंग की व्यवस्था बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। इस हेतु कस्टम हायरिंग की सेवाओं का उपयोग कृषि विभाग से समन्वय भी कर सकते है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश संचालक खाद्य द्वारा आयुक्त सहकारिता एवं राज्य उपार्जन समिति से परामर्श उपरांत जारी किये जा सकेगें।

6.9. श्रमिकों की सीमित उपलब्धता के कारण उपार्जित स्कंध के हेण्डलिंग में आने वाली कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए। गोदाम स्तर पर स्थापित उपार्जन केन्द्रों पर मेकेनाईज्ड हेण्डलिंग की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाए, जिससे अकुशल श्रमिकों पर निर्भता कम हो सके एवं कार्य को अर्द्ध/कुशल श्रमिकों पर शिफ्ट किया जा सके।

6.10. गुणवत्ता नियंत्रण की चैकिंग तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रभारी की जानकारी को ई-उपार्जन साफ्टवेयर से इंटीग्रेट किया जाए। प्रत्येक सप्ताह जिला एवं राज्य उपार्जन समितियों की बैठकों में इसकी समीक्षा की जाएगी कि प्रत्येक स्तर पर सही तकनीकी उपकरण एवं प्रशिक्षित अमला उपलब्ध हो।

6.11. उपार्जन एवं भंडारण एजेंसी द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सर्वेयर एवं अन्य कार्यों के लिए डाटा एन्ट्री आपरेटर हेतु एवं अन्य आवश्यक मानव संसाधन की सेवाऐं नियमानुसार ले सकेगी।

6.12. उपार्जन एजेंसियां गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं FAQ खरीदी हेतु सभी स्तरों पर निम्नानुसार व्यवस्था करेगीं:-

i. Non FAQ गेहूं को रिजेक्ट कर कृषक को पंखा/छन्ना के माध्यम से अपग्रेड करने हेतु समझाईश देना तथा अमान्य उत्पाद का सेम्पल रखना;

ii. जिला स्तर पर खाद्य, सहकारिता, एवं उपार्जन एजेंसी द्वारा सप्ताहिक रेण्डम चेकिंग करना; तथा

iii. संभाग के जिलों में नियमित भ्रमण तथा गुणवत्ता परीक्षण को प्रस्तुत करना।

6.13. गुणवत्ता एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधानो, तकनीकी उपकरणों की उपलबधता, सर्वेयर के नियोजन की नियमित समीक्षा एवं पर्यवेक्षण का दायित्व जिला/राज्य उपार्जन समिति का होगा।

6.14. उपार्जन एजेन्सी द्वारा गोदाम स्तर पर गुणवत्ता परीक्षक नियोजित किया जाएगा जो कि सर्वेयर मोबाइल एप में प्रत्येक लॉट का सेम्पल गणवत्ता जांचने के पश्चात उसके मापदण्ड दर्ज करेगा। समग्र रूप से मापदण्ड का आंकलन कर मोबाइल एप में स्वत: स्वीकृति अथवा रिजेक्शन हो जाएगा। यह जानकारी CSMS पोर्टल पर प्रदाय केन्द्र अधिकारी को प्रदर्शित होगी जिसे गोदाम प्रभारी द्वारी स्वीकृति/अस्वीकृत (AN/RAC) की कार्यवाही ऑनलाइन की जाएगी। यह कार्यवाही स्कंध प्राप्त होने के अधिकतम 48 घण्टे में कर लेना चाहिए। AN/RAC की जानकारी केन्द्र प्रभारी के लॉगिन में ई-उपार्जन पोर्टल पर देखी जा सकती है।

6.15. गुणवत्ता नियंत्रण एवं स्वीकृति पत्रक जारी करने की व्यवस्था के निर्देश परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

7. उपार्जन केन्द्र स्तर पर व्यवस्था एवं प्रक्रिया:

7.1. कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर DSO लॉगिन से विगत तीन वर्षों के भू-अभिलेख फसल कटाई/आंकड़ों के आधार पर तहसीलवार उत्पादकता की प्रविष्टि की जाएगी। इसके संबंध में निर्देश राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग से अभिमत प्राप्त करने के उपरांत संचालक खाद्य द्वारा जारी किये जाएगे।

7.2. किसानों द्वारा बोए गये सत्यापित रकबे एवं तहसील की उत्पादकता (फसल कटाई द्वारा निर्धारित) के अनुसार विक्रय योग्य अधिकतम मात्रा की जानकारी 'e-Uparjan' में कृषकवार प्रदर्शित रहेगी, जिसकी सीमा तक ही उपार्जन कृषकों से किया जा सकेगा। किसान द्वारा उत्पादित उपज के विक्रय पश्चात् शेष रही पात्रता पर अन्य व्यक्तियों द्वारा कोई उपज विक्रय न की जाए, इस दृष्टि से शेष पात्रता को पोर्टल पर हाईड करने की व्यवस्था बनाई जाए।

7.3. बिना SMS तिथि के आने पर कृषक तौल पर्ची जारी नहीं की जा सकेगी। अत: कृषकों को अपनी मांगी गई तिथियों का चयन भलि भांति करने हेतु समझाईश दी जावे। SMS का प्रोटोकाल संचालक खाद्य द्वारा जारी किया जाएगा। किसानों को SMS उपार्जन अवधि में ही किए जाएं तथा SMS प्रोटोकाल की टेस्टिंग एवं समीक्षा की पुष्टी संचालक, खाद्य द्वारा 1 सप्ताह पूर्व की ली जावे।

7.4. कृषक पंजीयन के समय तीन तिथियां ली जाएगी। कृषकों को 'e-Uparjan' के माध्यम से विक्रय तिथि एवं SMS सूचना के प्रावधान किए जाएंगे, जिसमें निम्न बिन्दुओं का भी ध्यान रखा जाएगा:-

i. कृषकों द्वारा दी गई- उपार्जन तिथि के 10 दिवस पूर्व सूचित करना, जिससे वे कटाई आदि की व्यवस्था सुविधापूर्वक कर सके;

ii. उपार्जन केन्द्र पर एक दिवस में औसतन 100 मे.टन मात्रा तक के उपार्जन हेतु SMS भेजना;

iii. किसान की मांगी गई तिथि को तौल संभव न होने पर आगामी दिवस में तौल हेतु प्राथमिकता से तिथि मे संशोधन करना;

iv. उपार्जन तिथियां 'e-Uparjan' पर केन्द्र के लॉगिन में प्रदर्शित होंगी, जिसे संस्था कृषक के अनुरोध पर परिवर्तित कर सकेगी; तथा

v. आवश्यकतानुसार एवं Exit Protocol के अनुरूप केन्द्र स्तर पर SMS भेजने की सुविधा संचालक, खाद्य द्वारा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

7.5. कृषकों को अपने उपज विक्रय के समय उपार्जन केन्द्र पर निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराना होगा, जिनका मिलान केन्द्र प्रभारी द्वारा किया जाएगा एवं मिलान होने के उपरांत कृषक तौल पर्ची जारी करने की कार्यवाही की जाएगी-

i. आधार कार्ड की प्रति;

ii. बैंक पासबुक से बैंक खाता IFSC एवं शाखा का मिलान;

iii. समग्र सदस्य आईडी की प्रति (न होने की दशा में PAN CARD की प्रति)

iv. वनाधिकार पट्टाधारी को पट्टे की प्रति

v. सिकमीदार किसानों को सिकमी अनुबंध की प्रति;तथा

vi. किसान पंजीयन पर्ची का हस्ताक्षरित प्रिन्ट आउट।

कृषक तौल

7.6. कृषकों को नियत तिथि में आने के लिये ही प्रेरित किया जाए तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए, जिससे SMS तिथि के बिना आने पर अनावश्यक प्रतीक्षा की अप्रिय स्थिति निर्मित न हों।

7.7. कृषकों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े, इस हेतु प्रत्येक केन्द्र पर facilitation counter स्थापित किया जाये, जो कृषकों को ऑनलाईन कृषक तौल पर्ची एवं तौल का संभावित समय जारी करे तथा कृषक तौल पर्ची के क्रम में FAQ उपज होने पर तौल करें। कृषक तौल पर्ची में नीचे अंकित कराया जाए यह केवल तौल पर्ची है, विक्रय मात्रा के देयक पृथक से समिति से प्राप्त किए जाएं।

7.8. प्रतिदिन उपार्जन प्रारंभ करने के पूर्व प्रथम कृषक के समक्ष तौल-कांटे के सही होने की पुष्टि स्वरूप 100 ग्राम एवं 50 किलोग्राम के बांट से सत्यापन कर प्रथम कृषक एवं अन्य दो कृषकों के हस्ताक्षर एक रजिस्टर में उपार्जन संस्था द्वारा प्रतिदिन कराया जाएगा।

7.9. किसानों से निर्धारित मानक बोरा अनुसार ही उपज तौलकर प्राप्त की जाए, निर्धारित मात्रा से (50 किलो+बारदाना वजन) से अधिक बोरे में उपज की तौल कदापि न की जाए।

7.10. तौल की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:-

i. भरती 580 ग्राम स्टेण्डर्ड वजन के नए जूट बोरे में 50 किलो प्रति बोरे के मान से की जाएगी; यदि गेहूं की पैकिंग हेतु पुराने (once used)/HDPE बारदाने उपयोग किए जाने पर उनके वजन के संबंध में पृथक से निर्देश संचालक खाद्य द्वारा जारी किए जाएंगे।

ii. केन्द्र द्वारा प्रत्येक बोरे पर नीले रंग की स्क्रीन से द्वारा निर्धारित प्रारूप में 18x18 इंच की स्टेंसिल (छापा) लगाई जाएगी;

iii. प्रत्येक बोरे पर केन्द्र के नाम (केन्द्र के कोड एवं वर्ष सहित) एवं किसान के पंजीयन क्रमांक की प्लास्टिक स्लिप 3x4 इंच की धागे से आधी अन्दर व आधी बाहर सिलाई की जाएगी जिससे पहचान हो सके कि कौन-सा उत्पाद किस कृषक का है;

iv. बारदानों की विद्युत चालित मशीन से नीला रंग के धागे से डबल सिलाई की जाए;

v. तौल एवं सिलाई के उपरांत भरे बोरों की कृषकवार थप्पी लगाई जावे, जिससे परिवहन करते समय यथा संभव एक ट्रक/स्टेक में कृषक का पूरा माल आ सकें; तथा

7.11. किसानों द्वारा विक्रय उपज की कम्प्यूटराईज्ड प्रिन्टेड रसीद (डबल कापी) केन्द्र प्रभारी द्वारा आनलाईन जारी कर अपने हस्ताक्षर किय जायेगे, जिसकी एक प्रति संस्था द्वारा रखी जाएगी तथा दूसरी कृषक को दी जाएगी। किसान को मोबाइल पर SMS के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।

7.12. किसान को एक बार रसीद जारी होने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन स्थानीय स्तर पर मान्य नहीं होगा। खरीदी प्रभारी द्वारा डे-क्लोजर रिपोर्ट पर डिजिटल हस्ताक्षर करते समय पुष्टि कर ली जाए कि किसान से उपार्जित स्कन्ध की सही प्रविष्टि कर रसीद जारी की गई है।

7.13. प्रतिदिन केन्द्र प्रभारी द्वारा निर्धारित 'Day Closure Protocol'/Ledger Management अनुसार Ready to Transport (R2T), Ready to Issue (R2I) तथा बारदाना संबधी आवश्यक सूचनाए अनिवार्यतः Online इन्द्राज की जावेगी।

7.14. उपार्जन प्रक्रिया में सभी प्रविष्टियां कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से ऑनलाइन ही जारी की जाएंगी। केन्द्र स्तर पर डाटा-एन्ट्री हेतु निम्न व्यवस्थाएं रहेंगी:-

i. कृषकों को कृषक तौल पर्ची (टोकन आदि) देना;

ii. कृषकों की तौल पत्रक एवं पावती जारी करना;

iii. R2T एवं Day Closure Protocol में इंद्राजी करना,

iv. R2I तथा परिवहन चालान (TC) जारी करना;

v. बारदाना का लेखा-जोखा रखना; तथा

vi. उपार्जन केन्द्र पर स्कंध तौलकर परिवहनकर्ता को सौपना;

vii. केन्द्र स्तर के समस्त व्यय यथा- कृषक भुगतान, प्रासंगिक व्यय, कमीशन से किये गये;

viii. प्रशासनिक व्यय तथा डाटा-एन्ट्री ऑपरेटर्स का वेतन का भुगतान 'JIT' से करना;

ix. कैश-बुक की दैनिक एन्ट्री तथा प्रक्रिया समाप्ति पर दावें जारी करना;

अस्थाई भण्डारण प्रक्रिया-

7.15. उपार्जन केन्द्र पर स्कंध के अस्थाई भण्डारण प्रक्रिया के निर्देश राज्य भण्डारण एजेन्सी द्वारा जारी किए जाएगें, जिसके अनुसार संस्था द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जावे-

i. संस्था द्वारा निर्धारित आकार के रेत की बोरी का बेस बनाना होगा, जिससे स्कंध में नमी न आए।

ii. आवश्यक ड्रनेज, रस्सी एवं तिरपाल आदि की व्यवस्था भी रखनी होगी जिससे स्कंध को असमायिक वर्षा एंव लंबे भण्डारण हेतु सुरक्षित रखा जा सके।

iii. प्रत्येक सिले हुए बोरे को थप्पी लगाकर निर्धारित उंचाई का स्टेक बनाना होगा। वाहन में इसी स्टेक से हैण्डलिंग (ट्रक लदाई हेतु) की जाएगी, जिसके साथ ही वर्ष के प्रशिक्षणों में संस्थाओं को इसका प्रशिक्षण देने के साथ-साथ एक छोटा वीडियों भी प्रस्तुत किया जाएगा।

iv. उपार्जन केन्द्र पर अस्थाई भंडारण हेतु भारत सरकार के प्रावधानित लागत पत्रक में दी गई दर पर उपार्जन एजेन्सियों द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत अंतिम लेखा-दावों के अनुरूप होगी।

8. बारदाना उपलब्धता एवं उपयोग

8.1. बारदाना की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु नोडल एजेंसी MPSCSC होगी, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित जूट मापदण्डों एवं राज्य के भंडारण क्रय नियमों का पालन करते हुए मानक गुणवत्ता का बारदाना उपलब्ध कराएगी। बारदाने की मात्रा का निर्धारण अनुमानित उपार्जन मात्रा सहित 15% अतिरिक्त मात्रा के लिए रहेगा।

8.2. नोडल एजेन्सी MPSCSC द्वारा बारदाना वितरण एवं उपयोग की संपूर्ण व्यवस्था हेतु 'Gunny bag Protocol' जारी किया जाएगा; बारदानों की संख्याओं का निर्धारण, भण्डारण, उपयोग एवं पावती के साथ निर्धारित आकार से कम, कटे-फटे, या खराब बारदाने प्राप्त होने तथा release दर्ज करने की व्यवस्था 'Gunny Bag Protocol' में बनाई जावेगी एवं बारदाना वापसी की समय-सीमा निर्धारित करते हुए नोडल एजेन्सी द्वारा पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।

8.3. MPSCSC द्वारा बारदाना गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था के स्पष्ट निर्देश जारी किये जाएगे, जिसमें प्रत्येक स्तर के उत्तरदायित्व एवं पर्यवेक्षण बताया जाएगा। उपार्जन केन्द्र पर निर्धारित गुणवत्ता के बारदाने प्रदाय किये जाए। बारदाने की गुणवत्ता के मापदण्ड संस्थाओं को भी सूचित किये जाए।

8.4. MPSCSC द्वारा मासिक उपार्जन अनुमान के अनुरूप जिले में एक माह पूर्व बारदाना भण्डारण कर

संबंधित DM/DMO/NAFEDके जिला प्रभारी को सौंपा जाएगा, इसके भंडारण एवं विनियमन का दायित्व संबंधित जिले की उपार्जन एजेंसी का होगा।

8.5. प्रत्येक केन्द्र पर उपार्जन आरंभ होने के दो दिवस पूर्व तक 10 दिन की अनुमानित उपार्जन मात्रा के अनुरूप बारदानें अग्रिम रूप से केन्द्र को उपलब्ध कराए जायेगे। इसमें केन्द्र द्वारा सूचित पूर्व से उपलब्ध बारदानों की संख्या सम्मिलित रहेंगी। इसके उपरांत प्रत्येक शनिवार को सभी केन्द्रो पर आगामी 07 दिवस की अनुमानित खरीदी के आधार पर बारदाने उपलब्ध कराये जाएगे।

8.6. उपार्जन केन्द्र से बाहर किसी भी व्यक्ति/संस्था को बारदानें संस्था द्वारा दिये जाने पर उनके विरूद्ध वसूली एवं आर्थिक दण्ड के साथ-साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

8.7. यदि बगैर स्टेंसिल/टैग/पंजीयन क्रमांक अंकित किये बोरे गोदाम पर लाए जाएं तो वे उपार्जन/भण्डारण एजेंसी द्वारा अग्राह्य किए जाएंगे तथा इसकी पेनल्टी परिवहनकर्ता के उपर लागू की जावेगी।

9. पूंजी व्यवस्था, व्यय एवं भुगतान:

वित्तीय संव्यवहार

9.1. विकेन्द्रीकृत उपार्जन व्यवस्था अंतर्गत भारत शासन के लिए उपार्जन का कार्य राज्य की उपार्जन एजेन्सियों द्वारा किया जाता है। भारत शासन द्वारा जारी costing guideline पत्र क्रं 192(29)/2007-FC.A/cs दिनांक 19.08.2015 एवं राज्य शासन के साथ किए गए MOU के अनुरूप उपार्जन एवं वितरण एजेंसी को व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है। अतः उपार्जन/वितरण एजेंसियों का प्राथमिक दायित्व होगा कि वे भारत शासन द्वारा जारी प्रावधानिक लागत पत्रक कि यथासंभव वित्तीय सीमाओं में ही उपार्जन तथा वितरण की व्यवस्था करें।

9.2. भारत शासन से प्रावधानिक लागत पत्रक प्राप्ति उपरांत राज्य शासन द्वारा पृथक से भी प्रावधानिक दरें वित्त विभाग के परामर्श से जारी करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें अनुमत्य मदों में दरों का ब्यौरा उपलब्ध होगा।

9.3. समस्त स्तर पर वित्तीय प्रबंधन तथा costing guideline के अनुरूप विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा भारत सरकार एवं राज्य शासन की नीति अनुरूप जारी किए जाएंगे, जिसमें निम्न का ध्यान रखा जाएगा:-

i. राज्य उपार्जन समिति के परामर्श से उपार्जन केन्द्र हेतु वित्तीय नार्मस एवं प्रक्रिया तय की जावेगी:-
   - क. पंजीयन हेतु प्रतिपूर्ति- उपार्जन एजेन्सी का प्रशासनिक मद,केन्द्र का कमीशन मद;
   - ख. डाटा इन्ट्री आपरेटर का मानदेय- उपार्जन एजेन्सी का प्रशासनिक मद;
   - ग. केन्द्र हेतु प्रतिपूर्ति- प्रासंगिक, कमीशन, अस्थाई भण्डारण, ब्याज एवं हेण्डलिंग मद से;
   - घ. केन्द्र की प्राप्तियां, व्यय, अंकेक्षण एवं दावा प्रस्तुति हेतु डिजीटल/आनलाईन व्यवस्था; तथा
   - ड. मद क्रं. 6627-खाद्यान्न उपार्जन कम्प्यूटराइजेशन परियोजना अंतर्गत हार्डवेयर नीति F3-18(5-2)/2018/29-2 दि 24.12.2018 अनुसार केन्द्रों को हार्डवेयर प्रतिपूर्ति करना।

ii. उपार्जन, संग्रहण एवं वितरण एजेन्सी से परामर्श कर निम्न के निर्देश जारी किए जाएगें:-
   - क. उपार्जन एवं वितरण ऐजन्सी के द्वारा किये गये प्रशासनिक व्यय की गाइडलाईन;
   - ख. उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण के मापदण्ड/दर तथा उपार्जन एजेंसी के प्रशासनिक मद से प्रतिपूर्ति;
   - ग. संग्रहण दर एवं प्राप्ति/व्यय प्रक्रियातथा
   - घ. प्राप्तियों, व्ययों एवं दावों को आनलाईन/JIT से एकीकृत करने की व्यवस्था।

9.4. वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए निम्न व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा में की जावेगी :-

i. राज्य नोडल एजेन्सी, भारत शासन द्वारा तय costing guidelines के अनुरूप संस्था स्तर पर व्यय लेखा संधारण के स्थायी निर्देश जारी किये जावेगें;

ii. उपार्जन/वितरण/संग्रहण एजेन्सी के मध्य MOU होगा;

iii. आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्था द्वारा उपार्जन संस्थाओं के आडिट एवं एकाउन्टिंग गाइड लाईन्स पृथक से जारी किये जावेगें;

iv. महाप्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (DCCB) संस्था प्रबंधकों को लेखा संधारण एवं अकाउटिंग गाइडलाईन्स का प्रशिक्षण देगें;

v. उपार्जन तथा वितरण एजेंसी राज्य शासन से रबी उपार्जन के efficiency parameter का MOU करेगी, जिसके आधार पर ही राज्य शासन द्वारा अपूरित व्ययों की पूर्ति तय की जावेगी;

vi. MD,MPWLC द्वारा संग्रहण प्राप्तियों की व्यय प्रक्रिया के स्पष्ट निर्देश जारी किये जाएगे; तथा

vii. वित्तीय व्यय हेतु भारत सरकार के मापदण्डानुसार मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन करना;

कृषक भुगतान -

9.5. कृषकों का भुगतान करने हेतु सहीं बैंक खाता अनिवार्य कडी है,बैंक खातों के सत्यापन हेतु निम्न प्रक्रिया होगी:-

i. राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा किसानों के पंजीयन में दर्ज (राष्ट्रीयकृत)/DCCB बैंक खातों का सत्यापन NPCI के माध्यम से पंजीयन के दौरान ही साप्ताहिक रूप से कराया जाए;

ii. यदि किसान द्वारा सहकारी बैंक के खाते उपलब्ध कराए गए हैं तो उनका सत्यापन महाप्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा कराया जाए;

iii. किसानों के खाते सत्यापित करने हेतु रू. 1/- का ट्रांजेक्शन किसान के बैंक खाता में भी राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा किया जाए;

iv. जिन किसानों के बैंक खातों में रू. 1/- का विफल भुगतान की समीक्षा कर किसान के सही बैंक खाते ई-उपार्जन पोर्टल पर संबंधित समिति द्वारा दर्ज किये जाए तथा उनका पुनः सत्यापन कराया जाए;

9.6. कृषकों का भुगतान ऑनलाईन डिजीटल व्यवस्था से स्वीकृति पत्रक के आधार पर किया जाएगा। यथा संभव उपार्जन एजेन्सियां सुनिश्चित करेगी कि किसान की उपज की तौल होने के 5 दिवस में भुगतान हेतु ePO जारी किया जाएगा। समिति द्वारा उसके 24 घंटे की समयावधि में ePO पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे।

9.7. कृषक भुगतान समय पर हो, इस हेतु जिला स्तर पर निम्न कार्यवाही एवं समन्वय किया जाए:-

i. केन्द्र द्वारा कृषकों को भुगतान निर्धारित समर्थन मूल्य पर किया जाएगा, अतः ई-उपार्जन में सही मात्राकी इंद्राजी, गुणवत्ता आदि पर नियंत्रण/क्रियान्वयन कलेक्टर के मार्गदर्शन में GM-CCB एवं DRCS द्वारा किया जाएगा;

ii. कृषकों का भुगतान JIT से किया जायेगा;

iii. किसानों के खाते में राशि का भुगतान विफल होने पर JIT के माध्यम से SMS प्रेषित किया जाए;

iv. केन्द्र प्रभारी/प्रबंधक द्वारा भुगतान हेतु डिजिटल हस्ताक्षर करने से पूर्व सुनिश्चित किया जाए कि:-

क. किसान का नाम, बैंक खाता एवं IFSC का मिलानई-उपार्जन एवं बैंक पासबुक से कर लिया हो;

ख. किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर डिजिटल हस्ताक्षर को अस्वीकार कर ePO वापिसकरना;

ग. तदुपरांत बैंक खाता संशोधन कर भुगतान की कार्यवाही की जाए;

घ. किसी भी प्रकार की त्रुटि का उत्तरदायित्व केन्द्र प्रभारी/प्रबंधक का होगा।

v. सभी डिजीटल भुगतान का लेखा-जोखा रखने हेतु डिजीटल केशबुक भी संधारित की जाए;

vi. बैंक शाखाओं में पर्याप्त कैश क्रेडिट लिमिट के साथ-साथ नगदी की उपलब्धता हेतु कलेक्टर द्वारा समय पर समीक्षा करने के अतिरिक्त उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व DLCC की बैठक ली जाए;

vii. कृषक भुगतान विफल होने की स्थिति से निपटने हेतु संचालक, खाद्य द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए जाए, जिसमें निम्न शामिल रहें:-

क. विफल भुगतान के कारकों का विश्लेषण केन्द्र एवं जिला उपार्जन समिति स्तर पर किया जाए;

ख. त्रुटिपूर्ण बैंक खाता दर्ज होने, खाता बंद होने अथवा जन-धन खाता होने के कारण भुगतान विफल होने पर किसान का सही बैंक खाता प्राप्त कर DSC/DSO को उपलब्ध कराया जाए;

ग. सही बैंक खाता दर्ज करने की कार्यवाही DSC/DSO द्वारा करने के उपरांत विफल भुगतान को पुन: री-पुश करने हेतु प्रस्ताव संचालक, खाद्य को प्रेषित किया जाए।

घ. भुगतान राशि नोडल बैंक के सस्पेंस खाते में अंतरित होने पर GM,DCCB द्वारा नोडल बैंक से सतत् सम्पर्क कर राशि उपार्जन एजेंसी को वापस की जाए। ऐसे किसानों को भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण संचालक, खाद्य द्वारा उपार्जन एजेन्सी के परामर्श से किया जाएगा।

उपार्जन केन्द्र को पूंजी, लेखा संधारण एवं ऑडिट व्यवस्था

9.8. उपार्जन केन्द्र को पूंजी, लेखा संधारण एवं ऑडिट की व्यवस्था निम्नानुसार होगी -

i. उपार्जन केन्द्र को प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था बनाने एवं प्रांसगिक व्यय करने हेतु संस्था को पर्याप्त साख-सीमा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक प्रदान करेगी, जिसकी समीक्षा जिला उपार्जन समिति द्वारा की जाएगी, इस राशि पर प्राप्ति एवं व्यय की इन्द्राजी आनलाईन व्यवस्था ई-उपार्जन/JIT में बनाई जाएगी। आनलाईन व्यवस्था अंतर्गत व्यय राशि पर देय ब्याज की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानिक लागत पत्रक अनुसार की जाएगी;

ii. मण्डी बोर्ड द्वारा उपार्जन केन्द्र पर व्यवस्था हेतु हम्माली, तुलाई-भराई, स्टेंसिल की छपाई/सिलाई सहित अन्य दरें (भारत शासन की Costing guidelines के मद) 30 जनवरी तक अधिसूचित करने की व्यवस्था बनाई जावे।

iii. केन्द्र द्वारा विधिवत् अस्थाई भंडारण करने एवं उसके प्रमाण प्रस्तुत करने पर निर्धारित दर पर 15 दिवस की अवधि का भंडारण शुल्क देय होगा;

iv. अस्थाई भण्डारण स्टेक से ट्रक पर लदाई करने हेतु हैण्डलिंग दर भी देय होगी, यदि गोदाम स्तरीय केन्द्र पर संस्था द्वारा बारदानों को गोदाम के अंदर स्टेक किया जाता है तो हैण्डलिंग एवं मूवमेन्ट की निर्धारित दर से देय होगा;

v. नवीन 'Accounts Protocol' जारी किया जाए जिसमें निर्धारित मानकों के अधीन केन्द्र स्तरीय सभी व्यय की गणना स्वमेव हो जावेगी, तथा संबंधित vendors के भुगतान केन्द्र/संस्था प्रभारी के digital authentication उपरांत JIT से किए जा सकेगें;

vi. स्वीकृति पत्रक जारी होने पर ही केन्द्र स्तर के लिए कृषकों को समर्थन मूल्य, प्रासंगिक, कमीशन तथा हैण्डलिंग मद (निर्धारित अंश) में परिशिष्ट-4 अनुसार JIT से भुगतान की जाएगी;

vii. अंकेक्षित मदों के लेखा प्रस्तुत करने के उपरांत एजेन्सियां उपार्जन केन्द्र को प्रासंगिक (शेषांश), कमीशन (शेषांश) हेण्डलिंग, अस्थाई भण्डारण एवं ब्याज की राशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित लागत अनुसार में भुगतान कराया जायेगा; इस संबंध में MD MPSCSC द्वारा पृथक से निर्देश जारी किये जाएंगे;

viii. प्रत्येक स्तर पर लेखा संधारण एवं ऑडिट के लिए पृथक से निर्देश आयुक्त, सहकारिता द्वारा उपार्जन एजेन्सियों से परामर्श उपरांत जारी किए जाएंगे; तथा

ix. भुगतान से संबंधित विवादों के निराकरण हेतु स्पष्ट व्यवस्था निर्देश उपार्जन एजेन्सियों द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाएगी।

9.9. **परिवहन भुगतान व्यवस्था-**

i. परिवहनकर्ताओं को राशि का भुगतान उपार्जन एजेंसियों द्वारा JIT के माध्यम से किया जाएगा;

ii. परिवहनकर्ता का नाम, लीड अनुसार निर्धारित परिवहन दर, बैंक खाता आदि का डाटाबेस JIT में तैयार किया जाएगा;

iii. हैण्डलिंग- लोडिंग का भुगतान उपार्जन एजेंसियों द्वारा JIT के माध्यम से संस्था/गोदाम स्वामी को किया जाएगा;

iv. हैण्डलिंग- अनलोडिंग का भुगतान उपार्जन एजेंसियों द्वारा JIT के माध्यम से परिवहनकर्ता/संस्था/गोदाम स्वामी को किया जाएगा;

v. कार्य में समयबधता के पालन/शार्टेज/विफलताओं के स्थिति में पेनेल्टी/वसूली का निर्धारण निविदा दस्तावेजों में किया जाए; तथा

vi. उपार्जन एजेंसी के जिला अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से परिवहनकर्ता को राशि का भुगतान किया जाएगा, इस संबंध में उपार्जन एजेंसी द्वारा भुगतान प्रोटोकॉल पृथक से तैयार किया जाएगा।

एजेंसियों को पूंजी एवं भुगतान व्यवस्था-

9.10. उपार्जन/वितरण एजेंसी को पूंजी एवं भुगतान व्यवस्था निम्नानुसार होगी:-

i. उपार्जन एजेन्सियों को बैंकों से ऋण लेने हेतु साख सीमाएं राज्य शासन द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व दी जाएगी, जिससे संबंधित उपार्जन एजेंसी राशि की कमी होने की स्थिति में पूंजी की व्यवस्था, बैंकों से उपलब्ध कम ब्याज की शार्ट-टर्म लोन प्राप्त कर सकेगी;

ii. उपार्जन एजेंसी बैंकों से न्यूनतम दरों पर लोन प्राप्त करने हेतु पारदर्शी व्यवस्था अपनाते हुए आवश्यकतानुसार न्यूनतम दर पर ऋण लेने हेतु negotiate करेगी; यदि बैंकों से ऋण की उपलब्धता नहीं हो पाती है तो आयुक्त, संस्थागत वित्त के माध्यम से बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राशि की व्यवस्था की जाए;

iii. आवश्यकता होने पर राज्य शासन द्वारा RBI की खाद्य साख-सीमा उपार्जन प्रारंभ होने के 20 दिवस पूर्व खाद्यान्न साख-सीमा का प्रस्ताव राज्य शासन के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डियां मुंबई को भिजवाया जाएगा, जिसकी RBIप्रत्येक माह की प्रगतिशील स्वीकृति प्रदान करती है;

iv. चूंकि RBI खाद्य साख-सीमा केवल उपार्जन के चिन्हित मदों में व्यय के लिए मिलती है, शेष राशि का प्रबंधन एजेन्सियों द्वारा बैंक ऋण अथवा अंशपूंजी से कार्यशील पूंजी प्राप्त किया जाएगा;

v. सभी एजेन्सियों द्वारा शासकीय प्रत्याभूति पर ऋण लेने हेतु पारदर्शी एवं इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जावेगी जिसमें बैंक के परिवर्तनशील ब्याज दरों का लाभ मिल सके। इस हेतु टेण्डर एवं परिवर्तनशील दरों को ध्यान में रखते हुए शर्तो एवं बैंकों के साथ करार में इसका ध्यान रखेगें;

vi. NAFED द्वारा पूंजी का प्रबंधन अपने वित्तीय संसाधनों से किया जाएगा, उन्हें पृथक से कोई Credit Limit राज्य शासन द्वारा नहीं देय होगी। NAFED को उपार्जन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक ही व्यय की प्रतिपूर्ति होगी। राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से किसी भी प्रकार की हानि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।NAFED के वित्तीय संव्यवहार राज्य के साथ किए गए MOU से संचालित होंगे;

vii. समस्त संव्यवहार मय credit एवं expenditure, JIT से होंगे, इस हेतु प्रत्येक उपार्जन/वितरण एजेंसी स्वयं का पृथक बैंक खाता संचालित करेगी तथा उसमें साख सीमा का प्रबंधन इस प्रकार करेगी, जिससे ब्याज भार न्यूनतम हो सके;

viii. उपार्जन एवं वितरण एजेन्सी के मध्य वित्तीय संव्यवहार के सिद्धांत परिशिष्ट-5 के अनुसार होंगे;

ix. भारत शासन को दावें प्रस्तुती एवं उनसे भुगतान प्राप्ति हेतु राज्य नोडल एजेन्सी MPSCSC होगी;

x. FCI के क्लेम राज्य नोडलएजेंसी MPSCSC द्वारा दायर कर प्राप्त किये जाएँगे; तथा

9.11. भारत सरकार द्वारा व्यय राशि की तुलना में प्रतिपूर्ति कम किए जाने अथवा विशेष/अप्रत्याशित परिस्थितियों में गेहूं उपार्जन/भंडारण अथवा MarkFed/MPSCSC को राशि अपूरित होने पर राज्य शासन द्वारा गुण-दोष के आधार उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

9.12. उपार्जन संस्थाओं को कमीशन, प्रासंगिक व्यय का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार JIT के माध्यम से किया जाएगा। उपार्जन अवधि में भुगतान की जाने वाली दर का निर्धारण भारत सरकार से प्रावधानिक लागत पत्रक प्राप्त होने के उपरांत MPSCSC द्वारा निर्धारित किया जाएगा, समस्त stakeholders को शेष वित्तीय प्राप्ति की प्रक्रिया एवं समय-सीमा का निर्धारण उपार्जन एवं भण्डारण एजेन्सी से विचार-विमर्श उपरांत संचालक खाद्य द्वारा किया जाएगा जिसके अनुसार भुगतान प्रबंधन JIT से होगा।

9.13. वितरण एजेन्सी निस्तारण इस प्रकार से करेगी कि भारत शासन को आर्थिक लागत का अंतिमीकरण हेतु लेखा उपार्जन दिसम्बर, 2022 तक यथासंभव जमा हो सके।

9.14. भारत शासन से अंतिमीकरण उपरांत राज्य शासन के समक्ष अपूरित राशियों का लेखा 2 माह में उपार्जन एवं वितरण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका गुण-दोष एवं नीति के आधार पर राज्य शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जावेगी।

वित्तीय संव्यवहार हेतु JIT/साफ्टेवयर प्रोटोकाल

9.15. सरल वित्तीय प्रवाह तथा costing guideline के अनुरूप व्यय एवं भुगतान व्यवस्था हेतु संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षणद्वारा एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटराईजेशन के PMU के अनुसार निर्देश जारी किए जाएंगे, जिसमें निम्न प्रावधान होगें:-

i. केन्द्र प्रभारी के डिजिटल authentication उपरांत किसानों के बैंक खाते में राशि हंस्तातरण तथा SMS से सूचना की जावेगी। भुगतान विफल होने पर भी किसान को SMS से सूचना की जावेगी, ऑफ लाईन पेमेंट बैंकों के साथ संव्यवहार मान्य नहीं करना;

ii. संस्थाओं को प्रासंगिक व्यय, कमीशन भण्डारण, हेण्डलिंग, ब्याज एवं उससे संबंधित सेवाप्रदाताओं (वेण्डर) को भुगतान करने की व्यवस्था;

iii. संस्थाओं द्वारा अंकक्षेण दावे एवं बिल की प्रस्तुति;

iv. जिला एवं राज्य स्तर पर उपार्जन एवं वितरण एजेन्सी द्वारा किए जाने वाले परिवहन प्रशासनिक ब्याज आदि का व्यय;

v. जिला स्तर पर उपार्जन एजेंसी एवं भण्डारण एजेंसी की बिलिंग एवं भुगतान व्यवस्था;

vi. राज्य स्तर पर उपार्जन एजेसिंयों तथा भण्डारण एजेंसी के मध्य वित्तीय संव्यवहार लिंक हो सकेगा;

vii. राज्य स्तर पर उपार्जन एवं वितरण एजेन्सी के मध्य संव्यवहार;तथा

viii. वितरण एवं केन्द्रीय एजेन्सी के मध्य संव्यवहार।

10. परिवहन व्यवस्था:

परिवहन निविदाएं-

10.1. परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति भारत सरकार के पत्र क्रमांक 192(14)/2018-FCA/cs दिनांक 06.05.2019 के अनुक्रम में निर्धारित SOR अनुसार करते हुए अनुबंध की कार्यवाही उपार्जन एजेंसी द्वारा दिनांक 25 फरवरी तक पूर्ण कर ली जाए।

10.2. परिवहन का उत्तरदायित्व संबंधित जिले की उपार्जन एजेंसी का होगा जो कि निविदा उपरांत परिवहनकर्ताओं से परिवहन एवं हैण्डलिंग के साथ-साथ गोदाम परिसरों में हैण्डलिंग एवं मूवमेंट के लिये चयनित निविदाकर्ता से अनुबंध करेगी।

10.3. परिवहन कार्य योजना हेतु निम्न बिन्दुओं का भी ध्यान रखा जावेगा:-

i. जिला उपार्जन एजेंसी द्वारा परिवहन मैपिंग प्रोटोकाल जो कि संचालक खाद्य द्वारा दोनों उपार्जन एजेन्सियों के परामर्श से तय किये जाएँगे;

ii. उपार्जन केन्द्र से गोदाम की मैपिग इस प्रकार की जाए कि जिले का समस्त व्यय न्यूनतम हों;

iii. मैपिंग में अधिकतम गेहूं का परिदान FCI को उनके गोदाम एवं रैक पांईट पर उपार्जन अवधि में दिया जाए;

iv. उपार्जित स्कंध को निर्धारित परिवहन मैपिग के अनुसार भण्डारण कराया जाए, अपरिहार्य परिस्थिति में कारणों का उल्लेख करते हुए संशोधन, उपार्जन एजेन्सी के प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भण्डारण एजेन्सी से परामर्श उपरांत कर सकेंगे;

v. परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति एवं अनुबंध की कार्यवाही उपार्जन एजेंसी द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2020 तक पूर्ण कर ली जाए;

vi. उपार्जन केन्द्र से जिले के गोदाम एवं अन्य जिलों के गोदामों से (गेहूं की कमी वाले जिलों के लिए) परिवहन हेतु संचालक, खाद्य से लिखित में डिमांड प्राप्त करने के उपरांत MPSCSC द्वारा ऑनलाइन परिवहन कार्यक्रम साफ्टवेयर तैयार किया जाएं,जो कि MPSCSC, MARKFED एवं MPWLCसभी के लिए मान्य होगा;

vii. धर्म-कांटे (वे-ब्रिज) एवं तौल संबंधी आवश्यक प्रावधान निविदाओं में किये जाएँगे तथा धर्म-कांटे की उपार्जन/संग्रहण केन्द्र से मैपिंग जिला उपार्जन समिति द्वारा की जाए; तथा

viii. गोदाम परिसर से इतर एवं गोदाम परिसरों के भरने की दशा में भण्डारण हेतु गोदामों को न्यूनतम व्यय एवं संग्रहण प्राथमिकता के आधार पर उपार्जन के 15 दिवस पूर्व मैप किया जाएगा।

10.4. परिवहन सेक्टरों एवं निविदाओं में उपार्जन एजेंसी निम्न का ध्यान रखेगी:-

i. सामान्यतः सभी जिंसो की पंजीयन मात्रा सेक्टर में SLC द्वारा दी गई मात्रा से अधिक न हों;

ii. यथासंभव पूर्ण विकासखण्ड को सेक्टर के लिए पूर्ण ईकाई रखा जाए;

iii. गोदाम परिसर के केन्द्रों में हैण्डलिंग एवं मूवमेंट दरों का पृथक-पृथक स्पष्ट प्रावधान किए जाएं;

iv. गोदाम परिसर से ईतर केन्द्रो हेतु भी दूरियों की दरें विकेन्द्रीकृत संग्रहण अनुसार अनुबंधित हों;

v. गोदाम परिसर के केन्द्रों में गोदाम स्वामी एवं उपार्जन संस्था से भी दरें प्राप्त की जा सकेगी; तथा

vi. धर्म-कांटे (वे-ब्रीज) से तौल तथा मार्गस्थ कमी संबंधित उचित प्रावधान किए जाएंगे।

10.5. अनुबंध में संस्थाओं द्वारा निम्न का प्रावधान भी सुनिश्चित किया जावें:-

i. निर्धारित समय-सीमा में उपार्जित स्कन्ध की परिवहन न होने की दशा में अथवा परिवहनकर्ता के विफल होने पर जिला उपार्जन समिति द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकेगी, जिसकी आवश्यक कटौत्री, दण्ड एवं ब्लेकलिस्ट करने का विफल परिवहनकर्ता पर प्रावधान;

ii. केन्द्र द्वारा R2T एवं Day Closer report करने के 24 घण्टे के अंदर उपार्जन एजेंसी के जिला अधिकारी द्वारा परिवहन आदेश जारी किया जाए;

iii. जिला अधिकारी द्वारा परिवहन आदेश जारी होने के 72 घंटे में स्कन्ध का परिवहन करना होगा;

iv. केन्द्रों द्वारा परिवहनकर्ता को उपज को शत-प्रतिशत तौल अथवा अधिकृत मैप्ड धर्मकांटे से देना;

v. केन्द्र से स्कंध तौलकर दिये जाने पर ई-उपार्जन से जारी चालान पर लोडिंग एवं अन लोडिंग पांईट पर वज़न, बारदाना के प्रकार/वजन एवं शुद्ध वजन का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा;

vi. केन्द्र द्वारा उपज वे-ब्रीज से अथवा शत-प्रतिशत तौल कर दिया जाता है तो मार्गस्थ कमी के लिए परिवहनकर्ता उतरदायी होगा; तथा

vii. 'e-Uprajan' आधारित परिवहन एवं स्वीकृति पत्रक ही भुगतान का आधार होंगे, इसके लिए हस्तलिखित या मौखिक आदेश मान्य नहीं होंगे।

परिवहन की प्रक्रिया-

10.6. परिवहन प्रकिया, निविदा आदेश, चालान एवं भुगतान को पूर्णत: ऑनलाईन करने के उद्देश्य से MD,MPSCSC द्वारा Timeline सहित विस्तृत 'Transportation Protocol' को PMU में MPWLC एवं MarkFed के परामर्श उपरांत जारी किया जाएगा, जिससें समस्त प्रणाली में साम्यता रहें।

10.7. गोदाम स्तरीय केन्द्रों में हैण्डलिंग एवं मूवमेंट अनुबंधित परिवहनकर्ता अथवा गोदाम स्वामी अथवा संस्था के द्वारा किया जा सकेगा, जिसके लिए वे डेडिकैटेड वाहन एव हैंडलिंग टीम उपलब्ध कराएंगे। इस हेतु दर प्राप्त करने की प्रक्रिया उपार्जन एजेन्सी द्वारा तय की जाएगी।

10.8. हैण्डलिंग- SOR परिवहन दरों का निर्धारण करने पर उपार्जन केन्द्र से स्कन्ध की लोडिंग एवं गोदाम स्तर पर अनलोडिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

i. MPWLC अपने गोदामों में ऐसे स्थलों का चयन करेगी जहां कि उपार्जन-सह-भण्डारण-सह-वितरण केन्द्र विकसित किए जा सकते है तथा financial viability बनती है वहां प्राथमिकता से निविदा द्वारा निजी सहभागिता पर आधुनिकीकरण मैकेनाईज्ड हैण्डलिंग व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगी;

ii. जो केन्द्र निजी गोदामों पर संचालित हो सकते है तथा दीर्घावधि तक उपार्जन-सह-भण्डारण-सह-वितरण केन्द्र बनाया जा सकते है उनमें ग्रेडिंग, बैंगिग तथा हैण्डलिंग की मैकेनाईज्ड व्यवस्था बनाने हेतु पृथक से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर MPWLC द्वारा कार्यवाही की जाएगी;

iii. मैकेनाईज्ड हैण्डलिंग के अतिरिक्त केन्द्र पर संस्था/गोदाम स्वामी द्वारा पर्याप्त हम्मालों की व्यवस्था हैण्डलिंग (लोडिंग/अनलोडिंग) हेतु की जावेगी। संस्था/गोदाम स्वामी द्वारा वाहन आने के 3 घण्टे में उसकी लदाई व उतराई पूर्ण कर रवाना करना होगा, जिससे ट्रकों का टर्नराउंड टाईम बढ़ाया जा सके;

iv. स्कन्ध की लोडिंग में निम्न चरण मान्य किए गए है:-

क. नजदीक के मैप्ड धर्मकांटे से शत-प्रतिशत तौल एवं खाली/भरे ट्रक का वजन समिति के वे-ब्रिज प्रभारी की उपस्थिति में कराना;

ख. केन्द्र पर अस्थाई भण्डारण स्टेक से बोरों की 50 किलो भरती के सत्यापन सेम्पल चेक से वाहन स्वामी के प्रतिनिधि को कराना। धर्मकांटा मैप्ड न होने पर संस्था प्रत्येक बोरे को इलेक्ट्रॉनिक तौल-कांटे से तौलकर स्कन्ध दिया जाएगा;

ग. परिवहनकर्ता को डिजीटल ट्रांसपोर्ट चालान मय तौल विवरण के दिया जाएगा जिसकी एक प्रति संस्था के पास, दूसरी प्रति परिवहनकर्ता एवं तीसरी प्रति परिवहनकर्ता को भण्डारण केन्द्र पर जमा कराने हेतु दी जाएगी;

घ. धर्मकांटे से शत-प्रतिशत तौल को ही स्कन्ध के वजन हेतु अंतिम माना जाएगा; तथा

ङ. निर्धारित लोडिंग व्यय का भुगतान संस्था/गोदाम स्वामी को JIT के माध्यम से किया जाएगा।

v. अनलोडिंग-स्कन्ध की अनलोडिंग में निम्न चरण मान्य किए गए हैं:-

क. उपार्जन एजेंसी गोदाम स्तर पर स्कन्ध के अनलोडिंग का कार्य निविदा के माध्यम से परिवहनकर्ता/संस्था/गोदाम स्वामी से निर्धारित दर पर करा सकेगी;

ख. अनलोडिंग के समय उपज की मैप्ड धर्म कांटे से तौल कराकर प्राप्त किया जाएगा;

ग. समिति द्वारा तौलकर स्कन्ध देने पर गोदाम स्तर की तौल में कमी पाए जाने पर उसके लिए परिवहनकर्ता जिम्मेदार होगा;

घ. उपज की गुणवत्ता की जांच उपार्जन/भंडारण एजेंसी के गुणवत्ता सर्वेयर द्वारा की जाएगी;तथा

ङ. FAQ स्कंध गोदाम में समितिवार स्टेकिंग के रूप में भंडारित किया जाएगा।

vi. Non-FAQ स्कन्ध की प्रविष्टि CMS Portal पर गोदाम प्रभारी द्वारा की जाएगी तथा ऐसे स्कन्ध को अपग्रेडेशन/वापसी/निस्तारण हेतु पृथक से भंडारित किया जाएगा; तथा

vii. निर्धारित अनलोडिंग व्यय का भुगतान उपार्जन एजेंसी के द्वारा सेवाप्रदाता को JIT के माध्यम से किया जाएगा;

11. उपार्जित स्कंध की भंडारण व्यवस्था:

11.1. परिवहन व्यय को सीमित करने एवं उपार्जन स्थल पर मैकेनाइज्ड सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से भण्डारण स्थलों पर निम्न व्यवस्थाएं भी की जावे:-

i. इलेक्ट्रानिक तौल (वे-ब्रिज) की सुविधा उपलब्ध हो;

ii. मैकेनाइज्ड हैण्डलिंग की सुविधा हो;

iii. FCI परिदान हेतु स्टील सायलो, सायलो बैग, मैकेनाइज्ड गोदाम वाले केन्द्र से सम्बद्ध हों; तथा

iv. गोदाम स्तरीय केन्द्रों को उपार्जन संस्था एवं एजेन्सी के साथ किए गए त्रिपक्षीय अनुबंध अनुसार अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी:-

क. गोदाम का कवर्ड कैम्पस हो, परिसर में तुलाई, भराई तथा वाहन के लिए पर्याप्त खुला स्थान तथा परिसर तक आने जाने का सुगम रास्ता BT या WBM रोड हो;

ख. डाटा कनेक्टिविटी तथा इंटरनेट की सुविधा हो, साथ ही WHR जारी करने एवं डिपाजिट फार्म भरने के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं उपलब्ध हों;

ग. परिसर में पेयजल, शौचालय, प्रकाश आदि की व्यवस्था हो।

11.2. उपार्जित गेहूं के भंडारण हेतु म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन (MPWLC) नोडल राज्य भण्डारण एजेंसी होगी:-

i. Storageके कार्य हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन MPWLC द्वारा सुनिश्चित् किया जाएगा;

ii. उपार्जन/वितरण तथा भण्डारण एजेंसियां आपसी MOU करेंगी जिसमें दायित्वों तथा देयताओं एवं भुगतान व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख होगा;

iii. भंडारित उपज की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था का उत्तरदायित्व भंडारण एजेंसी का होगा;

iv. भण्डारण एवं निस्तारण हेतु प्रत्येक गोदाम केन्द्र पर कम्प्यूटरीकृत इन्ट्रीज की व्यवस्था की जाएगी;

v. समस्त शासकीय एजेंसियों के गोदाम के उपयोग करने के पश्चात यदि किसी जिले में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता की आवश्यकता है तो इसे राज्य भण्डारण एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा;

vi. आवश्यक अस्थायी कैप के निर्माण एवं संचालन का कार्य MPWLC द्वारा किया जायेगा। उपार्जन के वृहद स्वरूप को देखते हुए अस्थायी केप निर्माण का कार्य अन्य संस्था यथा- मंडी बोर्ड आदि से भी कराया जा सकेगा;

vii. राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय भंडारण कार्ययोजना का अनुमोदन क्रमशः राज्य/ जिला स्तरीय उपार्जन समिति से प्राप्त किया जाएगा;

viii. जिला स्तर पर निर्धारित भण्डारण योजना का रेण्डम परीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक, MPWLC द्वारा किया जाएगा; तथा

ix. जिला स्तरीय उपार्जन समिति के अध्यक्ष- कलेक्टर अपरिहार्य स्थिति में प्रबंध संचालक, MPWLC के संज्ञान में लाते हुए निर्णय ले सकते हैं।

11.3. भण्डारण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 12(2)(छ) के उद्देश्य अनुसार विकेन्द्रीकृत संग्रहण एवं स्थानीय वितरण को बढ़ावा देते हुए एवं सरप्लस की दशा में भारतीय खाद्य निगम (FCI) के परिदान हेतु दूरी के नियमों को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए किया जाएगा। उपार्जन अवधि में अधिक से अधिक सरप्लस स्कन्ध की प्रदायगी FCI को सुनिश्चित की जाएगी। भण्डारण मैपिंग, परिवहन व्ययको सीमित करने के सिंद्धांत पर आधारित होगी।

11.4. प्रत्येक केन्द्र की उपार्जन मात्रा एवं भण्डारण क्षमता हेतु कार्ययोजना/मैपिंग के विस्तृत निर्देश संचालक, खाद्य द्वारा भण्डारण एवं उपार्जन/वितरण एजेन्सियों के परामर्श अनुसार जारी किए जाएगें जिसमें निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धांत का समावेश होगा:-

i. जिले, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत का legacy data से वार्षिक PDS वितरण डिमांड तथा उपार्जन के अनुरूप सरप्लस एवं डेफिसिट की मेक्रो स्थिति देखी जावें;

ii. प्रत्येक जिले की प्रदाय केन्द्र एवं उपार्जन केन्द्रवार कमी तथा सरप्लस का प्रोजेक्शन किया जाए;

iii. प्रत्येक केन्द्र एवं गोदाम को PDS एवं FCI परिदान के लिए पूर्व से चिन्हित कर लिया जाए;

iv. प्रत्येक वितरण गोदामों की PDS वार्षिक आवंटन को ध्यान में रखते हुए FPS से मैप करें जिससे यथासम्भव acquisition, distribution एवं द्वारप्रदाय योजना में मूवमेंट कम से कम हो;

v. प्रत्येक परिदान गोदाम को PDS (सेकेण्डरी मूवमेन्ट) एवं FCI (परिदान दूरी नियम के अधीन) श्रेणीकृत किया जाए। PDS गोदामों को सरप्लस से deficitFPS हेतु चिन्हित गोदाम को न्यूनतम परिवहन व्यय के आधार पर मैप किया जाए;

vi. जिला उपार्जन समिति से अनुमोदित होने के उपरांत इस संग्रहण कार्य योजना में कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। कोई भी मैपिंग परिवर्तन MPWLC द्वारा MPSCSC से परामर्श, जो कि लाभ हानि का आंकलन करने के उपरांत तय हो, किया जा सकेगा; तथा

vii. चूंकि उक्त व्यवस्था में कई variables हैं, यथा संभव किसी विशेषज्ञ संस्था से तकनीकी सलाह/सहायता प्राप्त की जाए।

11.5. भण्डारण कार्य योजना के लिए अनुमानित भण्डारण क्षमता का आंकलन निम्नानुसार किया जाए :-

i. विकासखण्ड को भंडारण हेतु ईकाई माना जाएगा;

ii. शासकीय गोदामों में भंडारण क्षमता 125%तथा JVs में 100% की मैपिंग की जा सकेगी, जिसे परिस्थिति अनुसार MD,WLC द्वारा 125% तक किया जा सकेगा;

iii. जिन गोदामों में उपार्जन केन्द्र स्थापित होंगे, वे भी मैपिंग में सम्मिलित होंगे;

iv. सामान्यत: गोदाम की भंडारण क्षमता 500 मे.टन तथा परिदान गोदाम हेतु 2000 मे.टन होगी;

v. खरीदी केन्द्र से एक ही श्रेणी के गोदाम (0.5 कि.मी. के भीतर) एक से अधिक उपलब्ध होने की स्थिति में जिला स्तरीय समिति द्वारा लॉटरी पद्धति से प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करेगी;

11.6. भण्डारण स्थल (गोदाम) से 4 किलोमीटर दूरी में धर्मकांटा उपलब्ध नहीं है, वहा पर स्टेण्डर्ड वजन अनुसार स्कंध की भरती कर गोदाम/कैप में जमा कराया जाए, जिसकी संतुष्टि हेतु 10 प्रतिशत तक रेण्डम तौल पुन: की जा सकेगी। यदि इस प्रकार की तौल में किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर शत-प्रतिशत तौल कराई जा सकेगी। 4 किलोमीटर की परिधि में धर्मकांटा उपलब्ध न होने वाले गोदामों का चिन्हांकन संबंधित उपार्जन एजेन्सियों द्वारा किया जाकर CSMS एवं ई-उपार्जन साफ्टवेयर में उसकी प्रविष्टि कराई जाए, जिसकी एकजाई स्वीकृति संचालक, खाद्य से ली जाएगी।

11.7. भंडारण के समय CSMS से डिपाजिट पत्रक जारी जारी होने के 48 घण्टे के अंदर शाखा प्रबंधक, MPWLC द्वारा स्टेकवार, संस्थावारएवं ट्रकवार WHR जारी करना होगा। समय सीमा में डिपाजिट पत्र, WHR जारी नहीं होने पर संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध उपार्जन/भण्डारण एजेंसियों द्वारा आर्थिक दंड लगाया जा सकेगा।

11.8. उपार्जन एवं वितरण के समय ट्रक से उतराई एवं भंडारण की व्यवस्था तक का उत्तरदायित्व उपार्जन/वितरण एजेन्सियों का होगाजोकि भारत शासन के द्वारा निर्धारित राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा तय किए जाएगे एवं तदनुसार इसके दिशा निर्देश संचालक, खाद्य द्वारा जारी किए जाएगें।

11.9. भण्डारण क्षमता की जिलेवार कमी का आंकलन एवं पूर्ती का यथासंभव जिले में ही उपयुक्त भण्डारण व्यवस्था अथवा आवश्यक होने पर राज्य उपार्जन समिति के परामर्श पर विभाग द्वारा अस्थाई/स्थाई कैपों का निर्माण/सायलों/ककून आदि की व्यवस्था भण्डारण हेतु नियत राज्य नोडल एवं समन्वयक एजेन्सी द्वारा की जाएगी।

11.10. गोदाम परिसर से इतर एवं गोदाम परिसरों के भरने की दशा में भण्डारण हेतु गोदामों को न्यूनतम व्ययएवं संग्रहण प्राथमिकता के आधार पर मैप किया जाएगा। अपरिहार्य स्थिति में संबंधित प्रबंध संचालक उपार्जन एजेंसी के अनुमोदन उपरांत मुख्यालय से ही साफ्टवेयर मैपिंग में परिवर्तन किया जा सकेगा। जिन जिलों में भण्डारण क्षमता की कमी है वहां मैपिंग राज्य स्तर से MPWLC द्वारा एजेंसी के प्रबंध संचालक की सहमति से की जावेगी।

11.11. पक्के कैप में भण्डारण हेतु अंतर एजेंसी समन्वय के लिए निम्न व्यवस्था है:-

i. जिन जिलों में गोदाम/कैप स्थित हैं उसी जिले के उपज को भण्डारण का प्रथम अधिकार होगा;

ii. यदि किसी अन्य जिले में भण्डारण किया जाना है तो उपार्जन करने वाली एजेंसी ही डिपाजिट करेगी;

iii. मंडीबोर्ड द्वारा निर्मित स्थायी केप में भण्डारित स्कंध की हैण्डलिंग राज्य भंडारण एजेंसी एवं म.प्र. वेयरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी;

iv. समस्त शासकीय एजेंसियों के गोदाम के उपयोग करने के पश्चात यदि किसी जिले में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता की आवश्यकता है तो इसे राज्य भण्डारण एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा;

v. अस्थायी कैप बनाने की आवश्यकता पर यह कार्य राज्य भंडारण एजेंसी द्वारा किया जायेगा; तथा

11.12. राज्य भण्डारण एजेंसी के प्रबंध संचालक से परामर्श कर जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष, जिला कलेक्टर आपातकालीन स्थिति में भण्डारण के बिन्दु पर निर्णय ले सकते हैं।

संयुक्त भागीदारी योजना-

11.13. उपार्जित स्कंध की भण्डारण व्यवस्था हेतु MPWLC द्वारा निजी/सहकारी क्षेत्र के गोदाम "संयुक्त भागीदारी योजना" में लेने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाकर JVS योजना तैयार की जावेगी जिसके प्रावधानों का अनुपालन सभी संबंधित संस्थाओं के लिए बंधनकारी होगें। इस हेतु एक विस्तृत अनुबंध नोडल भण्डारण एजेन्सी के द्वारा JV गोदाम स्वामियों से किया जायेगा। JV गोदाम लेने हेतु मुख्य सिंद्धांत निम्नानुसार होंगे :-

i. गोदाम/केप की रिक्त भंडारण क्षमता यथासंभव 1,000 मे.टन तथा गोदाम यूनिट 500 मे.टन हों;

ii. ऐसे निजी गोदाम परिसर को प्राथमिकता होगी, जिसमें निम्न अर्हताएँ होगी:-

क. भण्डारण क्षमता 5000 मे.टन;

ख. इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज (धर्मकांटा);

ग. गोदाम की बाउण्ड्री वॉलएवं प्रत्येक गेट पर अंदर की ओर जालीदार गेट; तथा

घ. बीटी, सीमेन्ट, कान्क्रीट अथवा WBM रोड

iii. ऐसे शासकीय एजेंसियाँ एवं निजी गोदाम जिसमें वे-ब्रिज, पक्की सड़क, गेट जैसी निर्धारित सुविधांए होंगी, उन्हें अन्य गोदामों से प्राथमिकता रहने के साथ-साथ उच्च उपयोग शुल्क एवं गारंटी का प्रावधान होगा, जिसका निर्धारण राज्य शासन द्वारा पृथक से किया जाएगा।

11.14. ई-उपार्जन एवं समानान्तर CSMS/WHMSसाफ्टवेअर में भण्डारण हेतु निम्न व्यवस्थाएं दी जावेगी:-

i. DSO लॉगिन पर भण्डारण केन्द्रों की मैपिंग जिसमें उपार्जन केन्द्र वाले गोदाम अलग उपश्रेणी हों;

ii. कलेक्टर लॉगिन पर जिले की भण्डारण कार्ययोजना बनाने की व्यवस्था;

iii. RM login से सत्यापन एवं राज्य स्तर पर रिपोर्ट में संकलन की व्यवस्था;

iv. 'एक ट्रक-एक परिवहन चालान- एक स्वीकृति पत्रक- एक डिपोजिट फार्म- एक WHR' व्यवस्था;

v. WHR का आगे निस्तारण की व्यवस्था से संशोधन;

vi. स्वीकृति पत्रक को संस्था के परिवहन मूवमेंट आदेश के 48 घण्टे उपरांत तक तथा WHR को अगले 48 घण्टे की अवधि में जारी किए जाएं, इसके उपरांत 12 घंटे की अवधि में स्वीकृति पत्रक/WHR जारी नहीं होने पर Block करने की व्यवस्था;

vii. समय सीमा में स्वीकृति पत्रक, डिपोजिट फार्म अथवा WHR जारी नहीं होने पर संबंधित कर्मचारियों की ट्रेल जिससे उनके विरूद्ध उपार्जन/भण्डारण एजेंसियों द्वारा आर्थिक दंड लगाया जा सकें; तथा

viii. भण्डारण स्टेक समितिवार लगाए जायेगे जिससे स्वीकृति पत्रक/WHR सरलता से चिन्हित हो सकेंगे तथा ऐसा न करने पर छटाई का व्यय भण्डारण एजेन्सी को वहन करना होगा।

11.15. गोदाम परिसर में स्थापित उपार्जन सह भण्डारण केन्द्र पर भण्डारण की निम्न व्यवस्थाएं रहेंगी-

i. जिन केन्द्रो पर परिवहन नहीं किया जाना है वहां TC के स्थान पर हैण्डलिंग चालान उपार्जन संस्था द्वारा जारी किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया ट्रांसपोटेशन प्रोटोकाल का भाग रहेगी;

ii. गोदाम स्तरीय (परिवहन दरहित) उपार्जन की दशा में एक हैण्डलिंग चालान, एक स्वीकृत पत्रक, एक डिपाजिट फार्म, एक WHR व्यवस्था रहेंगी; तथा

iii. गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र, जिनमें स्कंध के भण्डारण हेतु जिला उपार्जन समिति अनुसार पृथक से परिवहन की आवश्यकता नहीं है वहां संस्था द्वारा सीधे गोदाम में भण्डारण कराया जा सकेगा। गोदाम संचालक यह व्यवस्था बनाए कि संस्था से स्टेण्डर्ड वजन अनुसार भर्ती की जा रही, जिसकी पुष्टि हेतु वे सामान्यत: 10 प्रतिशत या जो उचित समझें की तौल पुन: की जावेगी।

11.16. गोदाम स्तर पर गोदाम प्रभारी द्वारा निम्न कार्यवाही की जाएगी:-

i. परखी लगाकर क्वालिटी चेक तथा नॉन FAQ क्वालिटी होने पर रिकार्ड करते हुए पृथक भण्डारण तथा संबंधित उपार्जन एजेंसी/समिति को सूचना दी जाए;

ii. गोदाम स्तर पर परीक्षण में पाये गये Non FAQ स्कंध की प्रविष्टि ई-उपार्जन पोर्टल पर करने की व्यवस्था बनाई जाएगी, जिस पर गोदाम प्रभारी द्वारा जानकारी प्रविष्ट की जाए;

iii. बोरों पर निर्धारित स्याही से समिति का नाम, कोड स्क्रीन प्रिंटिंग से अंकित न होने पर परिवहनकर्ताओं को वापस करना एवं उत्पाद को प्राप्त न करना;

iv. बोरों की सिलाई व टैंगिग निर्धारित धागें से हुई है। बोरों का वजन सहीं रिकार्ड हो; तथा

v. बिना स्टेंसिल, स्लिप (टेग) एवं संस्था कोड सील न लगे हुए बोरे गोदाम पर ग्राह्य न किये जाये।

11.17. जिलेवार भंडारण कार्ययोजना राज्य भंडारण एजेंसी द्वारा संकलित कर इसे राज्य स्तरीय उपार्जन समिति के समक्ष परामर्श किया जाएगा:-

i. उपार्जन एवं भंडारण एजेंसी जिले में उपार्जित गेहूं के भंडारण की व्यवस्था को भंडारण कार्य योजना अनुसार लागू करने हेतु उत्तरदायी होगी;

ii. भंडारित उपज की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था का उत्तरदायित्व भंडारण एजेंसी का होगा; तथा

iii. अपरिहार्य स्थिति में MPWLC मैपिंग में परिवर्तन करने का अनुमोदन दे सकेंगे।

12. समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं का निस्तारण:

12.1. राज्य में गेहूं का उपार्जन PDS की आवश्यकता से कहीं अधिक होता है। अतः यह आवश्यक है कि गेहूं के निस्तारण की बेहतर माइक्रो प्लानिंग वितरण एजेन्सी द्वारा की जाए जिससे समस्त उपार्जित गेहूं का निस्तारण कम से कम समय में हो सके।

12.2. माइक्रो प्लानिंग करते समय वितरण एजेन्सी द्वारा निम्न सिंद्धातों का ध्यान रखना चाहिए:-

i. प्रत्येक प्रदाय केन्द्र में वितरण योग्य गेहूं की वार्षिक आवंटन को संचालक, खाद्य से प्राप्त करना;

ii. प्रदाय क्षेत्र में स्थित गोदामों में रखे पूर्व वर्षो के स्कंध तथा इस वर्ष में आने वाले अनुमानित उपार्जन मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पंचायत के लिए गोदामों को विकासखण्ड के अंतर्गत PDS श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएतथा यथासंभव यह प्रयास किया जाए कि विकासखण्ड की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति निकटस्थ एवं पर्याप्तता बन सके

iii. इसमें विकासखण्ड में उपार्जन मात्रा से सरप्लस अथवा कमी की भण्डारण क्षमताएं निर्मित हो सकती है। जिससे निम्न परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है:-

विकासखण्ड में उपार्जन मात्रा से सरप्लस क्षमता				विकासखण्ड में उपार्जन मात्रा से क्षमता की कमी		
PDS मात्रा हेतु चिन्हांकन	PDS से शेष सरप्लस मात्रा का चिन्हांकन			PDS मात्रा का चिन्हांकन	PDS से शेष सरप्लस मात्रा का चिन्हांकन	
	✓जिले में कमी वाले ब्लाक में PDS चिन्हांकन ✓भण्डारण क्षमताए होने पर सीधे केन्द्र से मितव्ययिता आंकलन कर जमा करना	✓अन्य जिलों में कमी वाले ब्लाक में PDS चिन्हांकन ✓भण्डारण क्षमता होने पर सीधे केन्द्र से मितव्ययिता एवं समय का आंकलन	✓FCI को मोड सी परिदान हेतु (रेक पाईट एवं डेडिकेटेड मापदण्ड, के दूरी अनुसार)		✓FCI को मोड ए में परिदान हेतु	जो अतिशेष क्षमता विकाखण्ड एवं FCI में समाहित नहीं चिन्हांकन कॉलम 2 से 5 अनुसार
1	2	3	4	5	6	7

iv. विगत वर्ष का सरप्लस स्कन्ध उपार्जन एजेंसियों के पास स्टॉक में होने से उपार्जन अवधि में अधिक से अधिक गेहूं केन्द्रीय पूल में प्रदाय किया जाए;

v. भंडारण एवं परिवहन का प्लान उपार्जन एवं भंडारण एजेंसियों के द्वारा विचार-विमर्श उपरांत तैयार किया जाएगा, इस प्रकार तैयार प्लान का अनुमोदन राज्य उपार्जन समिति से कराया जाएगा;

vi. जिन जिलों में वार्षिक पीडीएस की आवश्यकता से कम उपार्जन एवं उपलब्धता होगी, उन जिलों में सरप्लस वाले जिलों से वार्षिक आवश्यकतानुसार गेहूं के भंडारण कराया जाएगा, यह भंडारण FCI को

परिदान में देने वाले गेहूं को forefront करते हुए न्यूनतम व्यय के आधार पर किया जाए;

vii. FAQ गुणवत्ता का गेहूं उपार्जन करने वाली समितियों चिन्हांकित कर उनसे सीधे FCIको परिदान किया जाए; तथा

12.3. उपार्जन के उपरांत अतिशेष गेहूं के निस्तारण हेतु प्रो-एक्टिव कार्य करते हुए FCI को त्वरित परिदान कराया जाए। गोदामो द्वारा समय सीमा में infestation अथवा अन्य भौतिक कठिनाइयों के कारण यदि FCIको निस्तारण करने में देरी की जाती है तो उन्हें आगे के समय का भण्डारण शुल्क कटौता के प्रावधान संयुक्त भागीदारी योजना के अनुबंध में किए जावें।

13. प्रचार प्रसार, कर्मचारी एवं संस्थाओं की भूमिका निर्धारण, उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण:

प्रचार-प्रसार-

13.1. MPSCSC द्वारा प्रचार-प्रसार की कार्ययोजना निम्न सम्मिलित तैयार की जाएगी:-

i. पंजीयन एवं उपार्जन में कठिनाईयां एवं बाधाएं न्यून करने के उद्देश्य से व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत एवं कोटवार आदि के माध्यम से कराया जाए। पंजीयन/उपार्जन प्रक्रिया ग्राम स्तर तक कोटवारों के माध्यम से प्रसारित कराई जावें;

ii. किसानों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु आधार नंबर आवश्यक होंगे, जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें आधार पंजीयन कराकर ई-आईडी नंबर उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया जाए। जिन किसानों द्वारा आधार पंजीयन करा लिया गया है किन्तु उनकों आधार नंबर प्राप्त नहीं हुए है, ऐसे आधार नम्बर की खोज किसान द्वारा इंटरनेट कैफे पर जाकर UIDAI के पोर्टल से ज्ञात की जा सकती है,

iii. बोई फसलों की प्रविष्टियां सही रूप मे भू-अभिलेख 'गिरदावारी एप' में करायें, पुष्टि के लिए भू-अभिलेख पोर्टल पर देखें तथा त्रुटि पर प्रविष्टि सुधार के लिए तहसीलदार को आवेदन करें, तथा

iv. भीड़ एवं कठिनाईयों से बचने हेतु किसान उपार्जन के लिए निर्धारित तिथि में ही केन्द्र पर आयें।

13.2. प्रचार-प्रसार हेतु प्रत्येक स्तर पर उपार्जन एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार है:-

i. रेडियो एवं प्रिन्ट मीडिया पर विज्ञापन आदि ,

ii. विगत रबी एवं रबी के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नम्बर उपलब्ध हैं उन्हें SMS से सूचित करना,

iii. ग्राम में डौंडी पिटवा कर तथा पंचायतों के सूचना पटल पर सूचना प्रकाशित करना, तथा

iv. पंजीयन/उपार्जन समिति/कृषि उपज मण्डी स्तर पर किसानों को सूचना देने के लिए बैनर, पोस्टर, ब्रोशर द्वारा सूचित करना।

प्रशिक्षण-

13.3. राज्य उपार्जन एजेन्सी उपार्जन से संबंधित समस्त सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करते हुए पंजीयन एवं उपार्जन करने का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें।

i. MPSCSC द्वारा विशेष रूप से निम्न प्रशिक्षण राज्य/जिला स्तर पर किये जाऐंगे।

क. राज्य स्तर पर सम्बद्ध विभागों का उन्मुखीकरण एवं स्टेट रिसोर्स पर्सन का प्रशिक्षण;

ख. संभाग स्तर पर स्टेट रिसोर्स पर्सन एवं संचालक, खाद्य की प्रतिनिधि की सहायता से प्रत्येक जिले के अधिकारियों का उन्मुखीकरण तथा मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण;

ग. जिला एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण-

ii. संस्था प्रबंधक एवं केन्द्र प्रभारी का प्रबंधन, लेखा, गुणवत्ता एवं बेसिक कम्प्यूटरीकरण का प्रशिक्षण;

iii. केन्द्र के डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का पंजीयन, उपार्जन, Day Closure Report, R2T, परिवहन एवं JIT

द्वारा दावे एवं भुगतान ऑनलाइन करने का प्रशिक्षण;

iv. परिवहनकर्ताओं एवं उनके डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण;

v. गोदाम स्वामी का गोदामों से जारी एवं release होने वाले स्कंध का WHR जारी करने का प्रशिक्षण;

vi. नापतौल निरीक्षकों का प्रशिक्षण;

vii. प्रत्येक स्तर के गुणवत्ता नियत्रंकों का प्रशिक्षण;

viii. लेखा कर्मियों का प्रशिक्षण;

ix. उपार्जन एजेंसी के कर्मी/अधिकारियों का प्रशिक्षण;

x. भण्डारण एजेंसी के कर्मी/अधिकारियों का प्रशिक्षण (MPWLC) द्वारा; तथा

xi. सहकारिता, राजस्व, कृषि एवं DCCB के जिला अधिकारियों का उन्मुखीकरण।

13.4. MD,MPSCSC द्वारा प्रशिक्षण की संस्थागत व्यवस्था के दृष्टिकोण से निम्न कार्यवाही की जाये :-

i. राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता सह-उपार्जन प्रशिक्षण केन्द्र का चिन्हांकन करना;

ii. राज्य एवं जिला स्तरीय गुणवत्ता स्त्रोत एवं मास्टर प्रशिक्षक नियोजित अथवा नामांकित करना;

iii. प्रशिक्षक एवं उपयोग स्तर के लिए गुणवत्ता मार्गदर्शिका तैयार करना;

iv. स्रोत प्रशिक्षकों एवं मास्टर ट्रेनर का उन्मुखीकरण;

v. राज्य स्तर पर संबद्ध विभागों का उन्मुखीकरण एवं State Resource Person प्रशिक्षण;

vi. जिला एवं मैदानी अमले, संस्था प्रबंधक, केन्द्र प्रभारी तथा गुणवत्ता सर्वेयर के प्रशिक्षण एवं certification की व्यवस्था करना; तथा

vii. केन्द्र स्तरीय पर्यवेक्षण टीम हेतु मार्गदर्शिका तैयार करना एवं प्रशिक्षण देना।

14. पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग:

14.1. पंजीयन एवं उपार्जन के समस्त प्रक्रिया, स्कंध की गुणवत्ता, पर्यवेक्षण तथा नीति के अंतर्गत कठिनाईयों का निराकरण करने हेतु राज्य, संभाग, जिला एवं उपखण्ड-स्तरीय उपार्जन समितियां उत्तरदायी होंगी, जिसका स्वरूप परिशिष्ट-6 अनुसार रहेगा।

14.2. राज्य उपार्जन एजेन्सी की बैठक प्रति मंगलवार अपरान्ह 04:00 बजे संचालक, खाद्य द्वारा आयोजित की जाएगी।बैठक के कार्यवाही विवरण ई-उपार्जन पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था कराई जावे।

14.3. राज्य उपार्जन समिति की बैठक साप्ताहिक की जाएगीतथा संचालक खाद्य एवं सभी एजेन्सियों द्वारा स्तर से समय समय पर क्षेत्रीय भ्रमण हेतु अधिकारी भेजें जायेंगे।

14.4. जिला स्तर पर सघन पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग की व्यवस्था निम्नानुसार बनाई जाये:-

i. समस्त जिलों में केन्द्र पर संसाधन एवं व्यवस्था;

ii. राज्य एवं जिला स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था;

iii. खरीदी के दौरान उपार्जन/CSMS/WHMS/JIT की तकनीकी समस्याओं का निराकरण;

iv. गुणवत्ता नियंत्रण हेतु समय-समय पर दलों को भेजना एवं क्षेत्रीय भ्रमण कराना;

v. परिवहन एवं भंडारण के बिन्दुओं को ध्यान में रखना; तथा

vi. साप्ताहिक समीक्षा, सामयिक प्रशिक्षण एवं कठिनाईयों के निराकरण की आवश्यक व्यवस्थाएँ बनाना।

14.5. जिला स्तर पर सघन पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग की व्यवस्था निम्नानुसार बनाई जाए :-

i. जिलों में केन्द्र पर संसाधन एवं व्यवस्थाओं का सत्यापन करना;

ii. केन्द्र पर प्रतिदिन एक कर्मी (कृषि/सहकारिता/खाद्य/राजस्व) की ड्यूटी लगाना; तथा

iii. प्रत्येक केन्द्र या अधिकतम 3 उपार्जन केन्द्र के लिए टीम का गठन जिसमें एक केन्द्र हेतु नोडल कर्मी तथा उनकी सहायता के दो अन्य मैदानी सदस्य नियुक्त करना, जो कि निम्न के लिए उत्तरदायी होगें:-

क. उपार्जन प्रारंभ होने से पूर्व केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन;

ख. किसान पंजीयन की प्रगति;

ग. उपार्जन एवं उसकी गुणवत्ता तथा समयावधि में कृषक भुगतान; तथा

घ. प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्था।

14.6. गेहूं उपार्जन अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से उपार्जन केन्द्र पर लाई गई उपज की अवैध विक्रय को रोकने के लिये कलेक्टर निम्न कार्यवाही करेंगे:-

i. सीमावर्ती इलाके में आवश्यक चेकिंग दल तैनात कर सघन पर्यवेक्षण करावें;

ii. अवैधानिक तरीके अपनाकर अन्य राज्य से उपार्जन केन्द्रों में विक्रय हेतु आने वाला उत्पाद रोकें;

iii. नामित दल का विवरण मय दूरभाष क्रमांक की जानकारी कन्ट्रोल रूम को भेजें; तथा

iv. इस दल के द्वारा किए गए कार्य की साप्ताहिक रूप से समीक्षा करें।

14.7. अनुविभाग स्तर के लिए राजस्व, कृषि, सहकारिता विभाग एवं भारतीय खाद्य निगम/उपार्जन संस्था के प्रतिनिधियों का दल कलेक्टर द्वारा गठित किया जाए। यह दल खरीदी केंन्द्रो का आकस्मिक निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे कि खरीदी केन्द्रो पर बिक्री हेतु आ रहा गेहूं निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही खरीदा जा रहा है एवं उसके संबंध में क्रेता/विक्रेता के विवादों का निराकरण भी करेंगे।

14.8. रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु उपार्जन एजेन्सी, समितियों एवं गोदाम संचालकों के मध्य निस्पादित अनुबंध के प्रावधानों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुरूप निराकरण करने हेतु जिला कलेक्टर आर्बिट्रेटर होंगे। आर्बीट्रेटर के समक्ष उपार्जन एजेंसी द्वारा समिति के अंतिम भुगतान होने के 30 दिवस के भीतर वाद दायर किया जा सकेगा, जिसका निराकरण 60 दिवस में किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा इस कार्य के लिए किसी अन्य अधिकारी को अधिकृत नहीं किया जा सकेगा।

कठिनाईयों का निराकरण-

14.9. अंतर विभागीय विषयों के निराकरण हेतु मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा जो कि उपार्जन की समीक्षा एवं अंतर विभागीय विषयों का निराकरण करेगी।

14.10. तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए निम्न व्यवस्था बनाई जावेगी:-

i. जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा जिला सूचना अधिकारी, NIC, जिला ई-गर्वनेंस मेनेजर, द्वार प्रदाय योजना का एक कुशल आपरेटर एवं संस्था स्तर के दो कुशल डाटा इन्ट्री आपरेटर के साथ तकनीकी सेल का गठन किया जाये;

ii. राज्य स्तर पर भी संचालक, खाद्य द्वारा तकनीकी सेल का गठन किया जाए, जो कि समस्त तकनीकी troubleshootहेतु उत्तरदायी होगा; तथा

iii. NIC द्वारा एक technical help desk मय online ticketing व्यवस्था, समस्या दर्ज कराने एवं निराकरण के लिए की जाएगी।

14.11. तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु ticketing system लागू किया जाएगा एवं इस व्यवस्था अंतर्गत समस्याओं के संकलन एवं निराकरण समय-सीमा में करने हेतु प्रत्येक स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

14.12. उपार्जन में तकनीकी समस्या के निराकरण हेतु संचालनालय खाद्य में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी जिसमें तकनीकी अमला पृथक से पदस्थ किया जाएगा।

14.13. उपार्जन कार्य में संलग्न एजेन्सियों एवं विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पद एवं दूरभाष नंबर ई-उपार्जन पोर्टल पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

14.14. जिला स्तरीय समिति, उपार्जन संबंधी समस्त विवादों का अंतिम निराकरण तथा उपार्जित स्कंध की गुणवत्ता की निगरानी करेगी। सभी कलेक्टर अपने जिले में उपार्जन संबंधी सभी विषयों के लिए जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी को (अपर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्तर के अधिकारी) "single point of contact" के रूप में नियुक्त करेंगे, जो कि राज्य स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे सम्पर्क में रहेगा।

14.15. उपार्जन कार्य सतत् रूप से बिना बाधा के चले इस हेतु राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, विन्ध्याचल भवन में निम्नानुसार स्थापित किया जायेगा:-

i. कन्ट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 0755-2551471 है;

ii. यह पंजीयन एवं उपार्जन अवधि में प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक संचालित रहेगा;

iii. यह उपार्जन एजेंसी/कलेक्टर्स/ केन्द्र में होने वाली समस्याओं के निदान करेगा;

iv. ऐसी समस्याए जिसके समाधान हेतु शासन स्तर पर कलेक्टर हस्तक्षेप आवश्यक समझे, उनका प्रतिवेदन संचालनालय खाद्य के नियंत्रण कक्ष को dirfood@mp.nic.in पर e-mail से भेजा जाए।

14.16. प्रदेश के कृषकों द्वारा उपार्जन से संबंधित अपनी समस्याएं राज्य सरकार के टोल-फ्री नम्बर सीएम हेल्पलाईन नम्बर 181 पर की जा सकेंगी। हेल्पलाईन (कॉल सेन्टर) से प्राप्त होने वाली शिकायत/समस्याओं के निराकरण का दायित्व जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी का होगा।

14.17. समस्त ऐसी समस्याऐं जिनका समाधान निर्धारित नीति/निर्देशों एवं प्रोटोकाल में प्रावधानित नहीं है, उन्हें संचालक, खाद्य द्वारा प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से अनुमोदन उपरांत समाधान किया जायेगा।

संलग्न- उक्तानुसार।

(उमाकांत पाण्डेय)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय,

पृ. क्रमांक एफ 5-1(1-1क)/2020/29-1 **भोपाल, दिनांक 15 फरवरी, 2020**

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
4. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग।
5. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय।
6. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मंत्रालय।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय।

9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय।
10. आयुक्त म.प्र. भू-अभिलेख कार्यालय भोपाल।
11. आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल।
12. तकनीकी डायरेक्टर, एनआईसी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
13. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी, मध्यप्रदेश।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय

परिशिष्ट-1

रबी उपार्जन वर्ष 2020-21 में गेहूं उपार्जन की कार्ययोजना एवं समय-सीमा

क्र.	कार्य	प्रकिया	उत्तरदायित्व	निर्धारित तिथि/ अंतिम तिथि
1	प्रबंधन तंत्र का गठन	उपार्जन केन्द्रवार नोडल टीम का गठन	कलेक्टर	22 फरवरी 2020
		राज्य/जिला तकनीकी सपोर्ट सिस्टम की स्थापना	संचालक,खाद्य- कलेक्टर,	22 फरवरी 2020
2	किसान पंजीयन	समितियों/मोबाईल एप/ई-उपार्जन मोबाईल एप पर	कलेक्टर-पंजीयन के विभिन्न माध्यमों से	28 फरवरी 2020 तक
3	पंजीयन सत्यापन	वन पट्टाधारी किसानों का सत्यापन	DFO/DMMPSCSC	05 मार्च 2020
5	उपार्जन केन्द्र का स्थल, संस्था का निर्धारण	उपार्जन केन्द्रों की संख्या का जिलावार निर्धारण	संचालक खादय	29 फरवरी 2020
		उपार्जन केन्द्रों की संख्या का तहसीलवार निर्धारण	कलेक्टर- डीएसओ के माध्यम से	02 मार्च 2020
		उपार्जन केन्द्रों के स्थान चयन तथा पंचायत मैपिंग		03 मार्च 2020
		उपार्जन केन्द्र संचालन हेतु पात्र संस्थाओं से आवेदन प्राप्ति	कलेक्टर- DRCS एवं GM DCCB के माध्यम से	03 मार्च 2020
		संस्था आवेदनों की संवीक्षा, चयन, एवं अनुबंध		04 मार्च 2020
		उपार्जन केन्द्र पर माईश्चर मीटर, तौल कांटों एवं अन्य उपकरणों का कैलिब्रेशन एवं प्रमाणीकरण	कलेक्टर- जिला नापतौल अधिकारी- GMDCCB	05 मार्च 2020
		उपार्जन केन्द्र- भौतिक/मानव संसाधन उपलब्धता निर्देश	कलेक्टर- DRCS एवं GM DCCB के माध्यम से	05 मार्च 2020
6	उपार्जन	उपार्जन	कलेक्टर- समितियों के माध्यम से	25 मार्च से 22 मई 2020
7	साफ्टवेयर एप्लीकेशन में आवश्यक प्रावधान, निर्देश एवं मास्टर ट्रेनर्स/ जिला स्तरीय टीम तक उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण	Farmer Verification Protocol with SMS	संचालक, खाद्य - SIO,NIC	24 फरवरी 2020
		बारदाना उपयोग का प्रोटोकाल	प्रबंध संचालक MPSCSC- SIO, NIC	24 फरवरी 2020
		परिवहन प्रोटोकाल एवं परिवहनकर्ता के डिजीटल सिग्नेचर की स्थापना एवं अनुमोदन	प्रबंध संचालक MPSCSC/ राज्य सूचना अधिकारी NIC	27 फरवरी 2020
		भंडारण प्रोटोकाल मय भण्डारण कार्ययोजना	प्रबंध संचालक MPWLC/ NIC	27 फरवरी 2020
		Procurement Centre Protocol	संचालक, खाद्य	26 फरवरी 2020
		उपार्जन प्रोटोकाल जिसमें औसत उपज, कृषक टोकन, तौल पत्रक, R2T,Day Closure Protocol, Exit	संचालक, खादय- SIO,NIC	29 फरवरी 2020

क्र.	कार्य	प्रकिया	उत्तरदायित्व	निर्धारित तिथि/ अंतिम तिथि
		Protocol एवं गुणवत्ता प्रोटोकाल शामिल होगा		
		भुगतान व्यवस्था जिसमें कृषक, संस्था, परिवहनकर्ता, अंतर एजेंसी एवं भण्डारकर्ता संव्यवहार सम्मिलित हो, "JUST IN TIME"	प्रबंध संचालक MPSCSC-SIO,NIC	2 मार्च 2020
		Accounts Protocol जिसमें GoI एवं FCI के क्लेम भी सम्मिलित हों	प्रबंध संचालक MPSCSC-SIO,NIC	28 फरवरी 2020
8	गुणवत्ता प्रबंधन	संस्था के गुणवत्ता नियंत्रको का नामांकन/नियोजन	कलेक्टर	24 फरवरी 2020
		उपार्जन एवं भण्डारण एजेंसी के द्वारा गुणवत्ता नियंत्रकों का नियोजन/ नामांकन	संबंधित प्रबंधक संचालक	28 फरवरी 2020
		प्रशिक्षण	प्रबंधक संचालक, MPSCSC	13 मार्च 2020
9	मार्गदर्शिका एवं निर्देश जारी करना	गुणवत्ता मार्गदर्शिका	प्रबंध संचालक MPSCSC मार्कफेड	20 फरवरी 2020
		उपार्जन केन्द्र संचालन		
		कम्प्यूटर प्रोटोकाल		
		लेखा, दावा एवं अंकेक्षण		
10	प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण	राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता सह उपार्जन प्रशिक्षण केन्द्र का चिन्हांकन करना	प्रबंध संचालक MPSCSC मार्कफेड एवं जिला प्रबंधक /जिला विपणन अधिकारी	25 फरवरी 2020
		राज्य एवं जिला स्तरीय गुणवत्ता स्त्रोत एवं मास्टर प्रशिक्षक नियोजित अथवा नामांकित करना		27 फरवरी 2020
		स्रोत प्रशिक्षकों एवं मास्टर ट्रेनर का उन्मुखीकरण		25 फरवरी 2020
		राज्य स्तर पर संबद्ध विभागों का उन्मुखीकरण एवं State Resource Person प्रशिक्षण		3 मार्च 2020
		जिला एवं मैदानी अमले, संस्था प्रबंधक, केन्द्र प्रभारी तथा गुणवत्ता सर्वेयर के प्रशिक्षण एवं certification की व्यवस्था करना एवं लेखा प्रभारी प्रशिक्षण		11 मार्च 2020
		केन्द्र स्तरीय पर्यवेक्षण टीम हेतु मार्गदर्शिका तैयार करना एवं प्रशिक्षण देना		20 फरवरी 2020
11	परिवहन प्रबंधन	परिवहन सेक्टर का निर्धारण एवं उर्पाजन केन्द्र की मैपिंग	MD,MPSCSC, MD,MARKFED एवं	5 मार्च 2020

क्र.	कार्य	प्रकिया	उत्तरदायित्व	निर्धारित तिथि/ अंतिम तिथि
			DM/DMO	
		सेक्टरवार परिवहनकर्ता का नियोजन	MD,MPSCSC, MD,MARKFED	25 फरवरी 2020
		परिवहनकर्ताओं की मैपिंग उर्पाजन केन्द्रों से करना तथा उनका प्रशिक्षण	MD,MPSCSC, MD,MARKFED एवं DM/DMO	10 मार्च 2020
12	भण्डारण व्यवस्था	भण्डारण केन्द्रों की आवश्यकता वाले स्थानों का निर्धारण - PDS/FPS परिदान/ FCI परिदान	प्रबंध संचालक MPWLC, MD,MPSCSC के सहयोग से	17 फरवरी 2020
		जिले की प्रारंभिक भण्डारण कार्ययोजना बनाना	कलेक्टर - जिला उपार्जन समिति	17 फरवरी 2020
		भण्डारण केन्द्रों की मैपिंग उर्पाजन केन्द्रों से करना	DSO/DSC	10 मार्च 2020
		जिले की भण्डारण कार्ययोजना अंतिम करना	कलेक्टर- जिला उपार्जन समिति	11 मार्च 2020
13	वित्तीय व्यवस्था मय किसानों को भुगतान	प्रावधानिक लागत पत्रक जारी करना	राज्य शासन	20 मार्च 2020
		केन्द्र स्तर के विभिन्न राशियों की दर	संचालक, खाद्य	20 मार्च 2020
		केन्द्र के अंतरिम/अंकेक्षण के दावें प्रस्तुति की प्रक्रिया	MD,MPSCSC एवं आयुक्त सहकारिता के आपसी परामर्श से	21 फरवरी 2020
		उन्मुखीकरण/ प्रशिक्षण हेतु मापदण्ड	MD,MPSCSC एवं MD,MARKFED के परामर्श से	19 फरवरी 2020
		भारत शासन की costing guideline के अनुरूप संस्था स्तर पर व्यय लेखा संधारण के स्थायी निर्देश	MD,MPSCSC	24 फरवरी 2020
		संस्थाओं की ऑडिट एवं अकांटिक गाइडलाइन	आयुक्त सहकारिता- MD,MPSCSC MARKFED के परामर्श से	24 फरवरी 2020
		उपार्जन एजेसिंयों का efficiency Parameter पर राज्य शासन से MOU	राज्य शासन- उपार्जन एजेंसियां	25 फरवरी 2020
		उपार्जन एवं भंडारण एजेंसियों के आपसी वित्तीय व्यवहार एंव लेनदेन के स्थायी निर्देश एवं आपसी MOU	MD,MPSCSC/MARKFED एवं MD,MPWLC के परामर्श	29 फरवरी 2020
		पंजीकृत किसानों के बैंक खातों का सत्यापन	प्रबंध संचालक MPSCSC/ मार्कफेड/ GM DCCB	04 मार्च 2020
		साख सीमा एवं नगद पर्याप्तता- DLCC की बैठक	कलेक्टर	11 मार्च 2020

क्र.	कार्य	प्रकिया	उत्तरदायित्व	निर्धारित तिथि/ अंतिम तिथि
		उपार्जन एजेंसियों को बैक ऋण हेतु साख सीमा	राज्य शासन	28 फरवरी 2020
		लेखा मिलान एवं अंकेक्षण के प्रासंगिक व्यय के संबंध में निर्देश जारी करना	आयुक्त सहकारिता	29 फरवरी 2020
		कृषकों को सामयिक भुगतान की समीक्षा	कलेक्टर	साप्ताहिक

परिशिष्ट-2

1

परिशि॰-2

स्टेट सिविल सप्लाईज
र्पोरेशन लिमिटेड

SCSC

क्रमांक/उपार्जन/2018-19/ 1491 भोपाल/ दिनांक 27/02/20

प्रति,

1. उपायुक्त/सहायक आयुक्त
सहकारी संस्थाएँ
म.प्र. समस्त

2. जिला आपूर्ति अधिकारी/नियंत्रक
म.प्र. समस्त

3. जिला प्रबंधक/जिला विपणन अधिकारी
म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
म.प्र. समस्त

विषयः- रबी विपणन वर्ष 2019-20 मे संचालित उपार्जन केन्द्रों पर आवश्यक भौतिक सुविधाएँ एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने बाबत् ।

संदर्भः- म.प्र. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के द्वारा जारी रबी उपार्जन नीति क्र. एफ. 5-15 (1-1 क-2019)/2018/29-1, दिनाँक 14.01.19.

उपार्जन नीति के कंडिका क्र-04 के अंतर्गत जिलों में पंजीयन केन्द्र स्थल का सुझाव, उपार्जन केन्द्र स्थल का चयन, केन्द्र संचालन हेतु संस्थाओं की निर्धारित पात्रता के अनुसार, संस्थाओं का चयन संबंधी कार्यवाही पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता से की जाना है। किसी भी स्थिति में गंभीर अनियमितता एवं उपार्जन मात्रा 1 प्रतिशत से अधिक अमानक स्कंध क्रय करने वाली संस्थाओं का चयन नहीं किया जावे।

उपार्जन हेतु चयनित संस्थाओं से उपार्जन केन्द्र स्थल पर निम्नानुसार आवश्यक भौतिक एवं मानव संसाधन सुनिश्चित कराया जाए।

कंडिका क्र.	अपेक्षित भौतिक एवं मानव संसाधन
4.11 (1)	हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन एवं निर्बाध विद्युत/जनरेटर की व्यवस्था की जाए।
4.11 (2)	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण - कम्प्यूटर, प्रिंटर, डोंगल, स्कैनर, यू.पी.एस. लैपटॉप, बैटरी आदि चालू अवस्था मे रखे जाए।
4.11 (3)	जन सुविधाएँ यथा- दरियाँ, टेबल, कुर्सी, पेयजल, शौचालय, छाया, बिजली आदि व्यवस्था खरीदी केन्द्र पर प्रतिदिन संभावित कृषकों के अनुपात मे की जाए।
4.11 (4)	उपार्जन यथा - Analog Moisture Meter (कैलिब्रेटेड), परखी, एनेमल प्लेट, सीविंग
	छन्ना [illegible]x6' साइज का ताकि स्कंध ट्रॉली से सीधे छन्ने पर गिराया जा सके। पर्याप्त संख्या में बड़े पंखे, ब्लोअर अथवा थ्रेसर वाला पंखा। जिले क्षेत्रों मे गेहूँ के बराबर मिट्टी आती है, वहाँ वाईब्रेटर-युक्त मैकेनिकल क्लीनिंग मशीन अथवा कृषकों को थ्रेशिंग प्लाट पर गेहूँ साफ करवाकर लाने हेतु सलाह दी जावे।
4.11 (6)	सुरक्षात्मक सुविधाएँ - उपार्जन के अनुमान अनुसार पर्याप्त संख्या में तिरपाल, कवर, अग्निशमन यंत्र, रेत, बाल्टियाँ, आदि की व्यवस्था की जाए।

पंजीकृत कार्यालय: ब्लॉक 4-1 तृतीय तल, पर्यावास भवन, भोपाल 462011
CIN [illegible]

39

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज
कारपोरेशन लिमिटेड

SCSC

4.11 (7)	सबद्ध वे-ब्रिज एवं 50 मै. टन उपार्जन पर 01 के मान से न्यूनतम 04 .... प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक तौल काँटे की व्यवस्था की जाए। उपार्जन मात्रा के मान से इस बढ़ाया जाए।
4.12 (1)	खरीदी केन्द्रों पर प्रभारी को नामित नियोजित कराया जाए।
4.12 (2)	संस्था पर CPC। डिप्लोमा डिग्रीधारी डाटा ऐंट्री ऑपरेटर को नियोजित किया जाए।
4.12 (3)	खरीदी केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में तौल-काँटे संचालन करने हेतु तुलावटी एवं हम्माल की व्यवस्था की जाए।
4.12 (4)	वे-ब्रिज की दशा में वे-ब्रिज प्रभारी नियोजित/नामित किया जाए।
4.12 (5)	गोदाम स्थल से अन्यत्र परिसर पर केन्द्र होने से संस्था द्वारा खरीदी केन्द्र पर गुणवत्ता सर्वेयर नियोजित किया जाए।
4.12 (6)	अधिक उपार्जन मात्रा की संभावना वाले केन्द्रों में उपार्जन मात्रा के आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों, तौल-काँटों, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था समिति द्वारा स्वयं की आय/कमीशन में से सुनिश्चित की जाएगी।

1. उपरोक्त विषय में व्यवहारिकता व एकरूपता सुव्यवस्थित गेहूँ उपार्जन कार्य में रहे इस उद्देश्य से एम.पी.एस.सी.एस.सी. की पहल पर दिनांक- 05.02.19 को संचालक खाद्य के समक्ष सभी पक्षों की बैठक उपरांत इस परिपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-अ विवरण अनुसार उपार्जन केन्द्रों पर प्रतिदिन संभावित गेहूँ आवक मात्रा से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर तकनीकी उपकरण संसाधन हेतु सर्वसहमति से निर्धारण किया गया है। यह न्यूनतम निर्धारण है, जिसकी उपलब्धता प्रत्येक वर्गीकरण अनुसार संबंधित गेहूँ उपार्जन केन्द्रों में सुनिश्चित करें।
2. उपरोक्तानुसार रबी उपार्जन कार्य प्रारंभ होने के पूर्व जिले के अधीनस्थ सभी उपार्जन केन्द्रों पर शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार भौतिक सुविधाएँ एवं मानव संसाधन की उपलब्धता रहे। यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए एवं वस्तुस्थिति को कलेक्टर्स के संज्ञान में लावें।
3. FAQ के निर्धारित मापदंड अनुसार स्कंध उपार्जन का दायित्व संबंधित उपार्जन संस्था का है अतः खरीदी केन्द्रों पर मैकेनिकल ग्रेडिंग, बड़े छन्ने, पंखे जैसे सफाई के उपकरण एवं समिति के स्तर पर गुणवत्ता सर्वेयर, कृषि विज्ञान में स्नातक अथवा खाद्यान्न के भंडारण, ग्रेडिंग अथवा गुण नियंत्रण का न्यूनतम 2 वर्ष का योग्यताधारी नियोजित करना होगा। गुणवत्ता सर्वेयर की अकुशलता एवं गुणवत्ता सर्वेयर के कार्यकलापों की नियमित समीक्षा भी आवश्यक होगी।
4. उपार्जन कार्य में संलग्न समितियों के स्तर पर उपरोक्त निर्देशों के अनुसार आवश्यक भौतिक सुविधाएँ एवं मानव संसाधन का नियोजन का दायित्व जिले में पदस्थ

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज
कारपोरेशन लिमिटेड

SCSC

[illegible] सतत पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार सुनिश्चित करायेंगे।

5. जिला कलेक्टर द्वारा उपार्जन से संबंधित सभी विषयों की सतत् समीक्षा हेतु नियुक्त अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी द्वारा प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को उक्त निर्देशों के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाकर खरीदी केन्द्रों पर न्यूनतम संसाधन व व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कराई जाएँ, जिससे उपार्जन के समय किसी प्रकार की व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न न हो।

आयुक्त
सहकारी संस्थाएँ
मध्यप्रदेश भोपाल

26/02/19
संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय
भोपाल

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य सहकारी
विपणन संघ मर्यादित
भोपाल

प्रबंध संचालक
म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज
कार्पोरेशन लिमिटेड
भोपाल

क्रमांक/उपार्जन/2018-19 /491 'A'

भोपाल/ दिनांक 27/2/2019

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल।
2. संभाग आयुक्त, समस्त मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर्स, समस्त मध्यप्रदेश।
4. प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक मुख्यालय, भोपाल।

आयुक्त
सहकारी संस्थाएँ
मध्यप्रदेश भोपाल

26/02/19
संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय
भोपाल

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य सहकारी
विपणन संघ मर्यादित
भोपाल

प्रबंध संचालक
[illegible] सिविल सप्लाईज
कार्पोरेशन लिमिटेड
भोपाल

41

[illegible]

परिशि

रबी विपणन वर्ष 2019–20 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन कार्य हेतु उपार्जन केन्द्रों पर न्यूनतम तकनीकी उपकरणों एवं अन्य जरूरी आवश्यकताएं

क्र0	विवरण	जिलो का वर्गीकरण		
		ए–श्रेणी	बी–श्रेणी	सी–श्रेणी
		प्रतिदिन 150 मे0टन से अधिक खरीदी	प्रतिदिन 100–150 मे0टन तक खरीदी	प्रतिदिन 100 मे0टन से कम खरीदी
तकनीकी उपकरण				
1.	नमी मापक यंत्र	1	1	1
2.	कम्प्यूटर	1	1	1
3.	प्रिंटर	1	1	1
4.	डोंगल	1	1	1
5.	स्कैनर	1	1	1
6.	यूपीएस	1	1	1
7.	बैटरी	1	1	1
8.	एनेमल प्लेट	2	2	2
9.	परखी	4	3	2
10.	डिजीटल बैलेंस	1	1	1
11.	प्लास्टिक सेम्पल थैली	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
12.	कपड़े की थैली	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
13.	चपड़ा	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
14.	मोमबत्ती	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
15.	पीतल की सील	1	1	1
	अन्य आवश्यकताएं			
1.	तौल कांटा	8	6	4
2.	बड़ा छन्ना	6	4	2
3.	ब्लोअर (थ्रेसर)	4	3	2
4.	सिलाई मशीन	6	4	2

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट - 3

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय

द्वि ब्लाक, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल - 462004 मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 3.4.19

क्रमांक 2723-

स्पष्टीकरण क्र.- 11

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश.

विषय- रबी विपणन मौसम 2019-20 में FAQ गेहूं का उपार्जन एवं स्वीकृति पत्रक बाबत्।

संदर्भ- शासन का परिपत्र क्र. 5-15(1-1क-2019)/2018/29-1 दिनांक 14.01.2019

उपरोक्त विषयातर्गत संदर्भित परिपत्र का अवलोकन हो, जिसमें रबी विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु जारी नीति की कण्डिका 6.5, 10.11 एवं 11.14 के अंतर्गत उपार्जन एजेन्सियों के द्वारा FAQ गेहूं के उपार्जन, स्वीकृति पत्रक जारी करने तथा गुणवत्ता प्रभारियों के नियोजन एवं पर्यवेक्षण के प्रावधान किए गए है।

प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) द्वारा FAQ गेहूं के उपार्जन, स्वीकृति पत्रक जारी करने तथा गुणवत्ता प्रभारियों के नियोजन एवं पर्यवेक्षण के संबंध में उपार्जन नीति में उल्लेखित प्रावधानों में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग द्वारा सहमति दी गई है।

नीति की कण्डिका 11.14 के अंतर्गत समस्त ऐसी समस्याएँ जिनका समाधान निर्धारित नीति/निर्देशों एवं प्रोटोकाल में प्रावधानित नहीं है, उन्हें संचालक, खाद्य द्वारा प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से अनुमोदन उपरांत समाधान किया जायेगा। FAQ गेहूं के उपार्जन, स्वीकृति पत्रक जारी करने तथा गुणवत्ता प्रभारियों के नियोजन एवं पर्यवेक्षण के संबंध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है:-

1. समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया के दो भाग यथा- उपार्जन स्तर (Acquisition stage) तथा वितरण (Distribution) होंगे।
2. समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा तथा वितरण का कार्य मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन का है।
3. उपार्जन एजेन्सियों को आवंटित जिलों में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का दायित्व शासन नीति एवं निर्देशों के तहत FAQ स्कन्ध ही उपार्जन समितियों से प्राप्त करेगी तथा इस प्रकार प्राप्त स्कंध को उपार्जन एजेंसी द्वारा वितरण एजेन्सी (MPSCSC) के नाम से डिपाजिट फार्म तैयार कर गोदाम में जमा कराया जाएगा।
4. उपार्जन एजेन्सियों द्वारा उपार्जन नीति के अनुसार उपार्जित स्कन्ध की गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य किया जाएगा।
6. उपार्जित स्कन्ध के स्वीकृति पत्रक एवं डिपॉजिट फार्म निम्न प्रक्रिया से जारी किए जाए :-

   5.1 उपार्जन करने वाली सहकारी समिति द्वारा कृषकों से FAQ गुणवत्ता का गेहूं उपार्जित किया जाए।

   5.2 उपार्जन एजेन्सियों द्वारा गोदाम एवं सायलो बैग स्तर पर स्थापित उपार्जन केन्द्रों एवं भंडारण स्थलों पर पर्याप्त संख्या में गुणवत्ता सर्वेयर नियोजित किए जाए।

   5.3 उपार्जन एजेंसी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भंडारण स्थल पर प्राप्त स्कन्ध की FAQ गुणवत्ता की संतुष्टि उपरांत स्वीकृति पत्रक जारी किए जाएंगे, जिसके लिए संबंधित जिले के DM MPSCSC/ DMO Markfed उत्तरदायी होंगे।

   5.4 उपार्जन केन्द्र निर्धारण हेतु जिलों में पात्र संस्थाएँ उपलब्ध न होने के कारण जिन संस्थाओं को शिथिलता प्रदान की गई है, उनके द्वारा उपार्जित एवं जमा स्कन्ध की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जाए, ऐसी संस्थाओं पर उपार्जन एजेंसियों द्वारा भी गेहूं गुणवत्ता की जांच हेतु सर्वेयर नियुक्त किए जा सकते है। 43

2

5.5 समर्थन मूल्य पर FAQ गुणवत्ता का गेहूं उपार्जन सुनिश्चित करने हेतु उपार्जन एजेंसियों के राज्य, संभाग/क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के दल गठित कर स्कन्ध की गुणवत्ता की जांच एवं स्वीकृति पत्रक जारी करने की मॉनीटरिंग कराई जाए।

5.6 समर्थन मूल्य पर FAQ गुणवत्ता के गेहूं की प्राप्ति का दायित्व संबंधित उपार्जन एजेंसियों का होगा।

5.7 उपार्जन अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम को परिदान किए जाने वाले गेहूं की गुणवत्ता के परीक्षण में उनके सर्वेयर का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा।

5.8 उपार्जन एजेंसियों द्वारा गेहूं के स्वीकृति पत्रक जारी करने के उपरांत भंडारण एजेंसी को WHR वितरण एजेंसी (MPSCSC) के पक्ष में जारी करने हेतु डिपॉजिट फार्म प्रेषित किया जाएगा।

5.9 भंडारण एजेन्सी द्वारा, वेयरहाउस रसीद (WHR) MPSCSC के पक्ष में जारी किया जाएगा।

5.10 भंडारण एजेन्सी द्वारा भंडारित किए जाने वाले स्कन्ध के गोदाम में जमा एवं WHR जारी करने के पूर्व गुणवत्ता परीक्षण किया जाए एवं FAQ स्कन्ध का ही WHR जारी किया जाए।

5.11 उपार्जित स्कन्ध के वैज्ञानिक भंडारण एवं उसकी सुरक्षा का दायित्व भंडारण एजेन्सी का होगा।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

03/04/19

(श्रीमन् शुक्ला)

संचालक

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल, 2019

पृ.क्र. 2724 /उपार्जन/2019

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मंत्रालय।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय।
6. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
7. आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, राज्य विपणन संघ मर्यादित, भोपाल।
9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भोपाल।
10. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक (अपैक्स बैंक) भोपाल।
11. तकनीकी डायरेक्टर, एनआईसी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
12. श्री अब्राहम वर्गीस, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, मध्यप्रदेश।
13. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी, मध्यप्रदेश।

संचालक

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

मध्यप्रदेश।

परिशिष्ट-4

वर्ष 2020-21 में गेहूं परिपेक्ष्य में उपार्जन समितियों/गोदाम मालिकों एवं परिवहनकर्ताओं को तदर्थ भुगतान

क्र.	मद	भुगतान प्राप्तकर्ता	भुगतान प्रारंभकर्ता स्त्रोत	भुगतान का अंतराल	भुगतान का आधार	भुगतान का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रासंगिक व्यय (मण्डी लेबर)	उपार्जन समिति/ गोदाम मालिक	e-Uparjan	सोमवार	स्वीकृति पत्रक मात्रा	रू. 8/ क्विंटल
2.	कमीशन			मंगलवार		रू.16/ क्विंटल
3.	हैन्डलिंग व्यय- गोदाम स्तरीय केन्द्र से ईतर उपार्जन केन्द्र पर लोडिंग हेतु	संबंधित उपार्जन केन्द्र के खाते में		बुधवार		रू.3/ क्विंटल
4.	हैन्डलिंग व्यय- गोदाम स्तरीय केन्द्र से ईतर भण्डारण केन्द्र पर अनलोडिंग हेतु	उपार्जन समिति/ गोदाम मालिक/ परिवहनकर्ता/ नियुक्त वेंडर	CSMS	गुरूवार		रू.5/ क्विंटल
5.	हैंडलिंग एवं मूव्हमेंटव्यय (गोदाम स्तरीय खरीदी)			शुक्रवार	वेयरहाउस रसीद मात्रा	पात्रता का 60%
6.	परिवहन	नियुक्त- स्वीकृत परिवहनकर्ता		10 एवं 25 तारीख	स्वीकृति मात्रा	पात्रता का 60%
7.	डाटा एन्ट्री आपरेटर व्यय	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	भुगतान प्रमाणीकरण आधार	माह की 15 तारीख	कार्य की निरंतरता	कलेक्टर- कुशल श्रमिक दर

टीप-

1. बिन्दु क्रमांक 6 को छोडकर शेष भुगतान टी.डी.एस. एवं वैधानिक कटौत्रों का भुगतान समय-समय पर राज्य एजेन्सी के मुख्यालय/जिला स्तर से (स्थिति अनुसार)किया जावेगा।
2. बिन्दु क्रमांक 3, 4 एवं 5 पर उल्लेखित राशि MPSCSC द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक परिवहन/2019-20/1256 दिनांक 13.12.2019 अनुसार की जायेगी।
3. उक्तानुसार राशि जेआईटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान की जाएगी।
4. गोदाम स्तर पर स्थापित उपार्जन केन्द्रों पर भुगतान किये गये कार्य के अनुसार किया जाएगा।
5. ePO पर डिजिटल हस्ताक्षकर्ता DMMPSCSC/DMO Markfed/ नेफेड का प्रभारी अधिकारी का होगा
6. डाटा एन्ट्री आपरेटर का भुगतान उपार्जन संस्था के वास्तविक भुगतान के प्रमाणीकरण पर किया जाएगा।

परिशिष्ट-5

परिशिष्ट-(6) 15/12/2019

विषयः— रबी विपणन वर्ष 2019—20 में उपार्जित एफएक्यू गेहूँ के परिदान/भुगतान के लिये दिशा निर्देश।

1. राज्य मे रबी विपणन मौसम वर्ष 2019—20 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ की उपार्जन नीति पत्र क्रमांक 5—15(1—1क 2019) 2018/29—1 भोपाल, दिनांक 14.01.2019 द्वारा जारी [illegible] उपार्जन, भण्डारण एवं भुगतान के प्रावधान सम्मिलित है। इस नीति एव भारत शासन के द्वारा FAQ गेहूँ के मानक के प्रकाश में उपार्जन एजेन्सियों के द्वारा FAQ गेहूँ के उपार्जन, स्वीकृति पत्रक एव परिदान की प्रकिया क्र./2723 दिनांक 03.04.2019 खाद्य नागरिक आपूर्ति एव उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा जारी पत्र मे विस्तार से दी गई है।
2. नीति के कंडिका क्र. 8—पूँजी व्यवस्था, व्यय एवं भुगतान तथा 11.14 के स्पष्टीकरण के अनुक्रम मे निम्न व्यवस्था स्पष्ट की जाती है :—

2.1 उपार्जन स्तर पर राज्य में दो उपार्जन एजेन्सी यथा म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (MARKFED) एव म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPSC[illegible]

2.2 वितरण स्तर पर केवल एक वितरण एजेन्सी यथा MPSCSC है। MPSCSC द्वारा [illegible] एजेन्सी एव वितरण एजेन्सी के अपने स्वरूप तथा अपने खातों को पृथक पृथक संधारित किया जाएगा।

2.3 दोनो उपार्जन एजेन्सियाँ अपने—अपने निर्धारित जिलो मे उपार्जन केन्द्र स्तर [illegible] संस्थाओं से FAQ स्कंध ही प्राप्त करेंगी तथा स्वीकृति पत्र जारी करने के उपरांत अपने जिला के लिये डिपाजिट फार्म वितरण एजेन्सी के पक्ष मे बनाते हुए भण्डारण एजेन्सी को प्रेषित करेंगी

2.4. भण्डारण एजेन्सी द्वारा, डिजिटल हस्ताक्षरित क्लीयर वेयर हाउस रसीद(e-WHR) वितरण एजेन्सी MPSCSC के पक्ष में तैयार की जावेगी।

2.5 दोनो उपार्जन एजेंसियां Acquisition के व्यय हेतु अपनी अपनी पूंजी की व्यवस्था [illegible] अनुरूप न्यूनतम ब्याज पर करेंगी तथा इस पूंजी से अपने अपने उपार्जन के दौरान राशि का व्यय JIT (just in time) IT Tool से करेंगी।

i. उपार्जन एव वितरण एजेन्सियां पूंजी की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा आवंटित [illegible] खाद्यान्न साख सीमा बैंक ऋण हेतु शासकीय प्रत्याभूति, साख सीमा एव स्वयं के साधनों से प्राप्त करेंगी।

ii. एजेन्सिया यह सुनिश्चित करेगी कि उपलब्ध स्त्रोतो म से आहरण इस आधार पर किया जाये कि न्यूनतम वित्तीय/ब्याज भार आये, जिससे की राज्य शासन पर अपूरित राशि का भार कम किया जा सकें।

iii. एजेन्सिया बैंक खातो को निर्धारित नियमो/शर्तो का पालन करते हुये संचालित करेगी एव मासिक ब्याज को न्यूनतम रखते हुये इनकी नियमितता एवं क्लोसर समय-सीमा मे सुनिश्चित करेगी ।

2.6 इन व्ययो की प्रतिपूर्ति (reimbursement) हेतु उपार्जन एजेन्सी अपने दावों को निर्धारित [illegible] दर एव प्रारूप अनुसार वितरण एजेन्सी को प्रस्तुत करेंगी।

2.7 वितरण एजेन्सी को पूंजी की व्यवस्था करते हुए उपार्जन एजेन्सी को निश्चित समयावधि मे दावो का नियमानुसार reimbursement करना होगा।

2.8 वितरण एजेन्सी द्वारा प्रत्येक स्तर पर निस्तारण के दावे सही समय पर भारत सरकार एव [illegible] को प्रेषित करना होगा जिससे वे ब्याज पर ली गई पूंजी की वापसी इस DCP योजना के केन्द्र शासन/एजेन्सियों से प्राप्त कर सके।

i. ब्याज की राशि का अंतिम रूप से समायोजन तृतीय प्रतिपूर्ति के दौरान, भारत सरकार [illegible] द्वारा अंतिम लागत पत्रक के निर्धारण अनुसार होगा।

ii. वितरण एजेंसी व उपार्जन एजेंसी लेखा सिद्वांतो के अनुसार उक्त ब्याज की लेखाकन प्रविष्टियॉ करेंगे व भारत सरकार को अंतिम लेखे प्रस्तुत करेगें ।

2.9 सभी एजेंसियां प्रत्येक वर्ष के RMS हेतु आय व्यय का पृथक बैंक खाता खोलेंगी, जिससे संबधित RMS के आय व्यय संचालित होंगे। इस प्रकिया से भविष्य मे ऑटोमेटेड क्लोजर [illegible] ऑडिट की व्यवस्था आसान हो सकेगी।

2.10 तीनो एजेन्सियो द्वारा केन्द्र शासन से लागत अतिमिकरण के उपरांत अपूरित राशि के अपने अपने दावे संचालक, खाद्य को प्रस्तुत किए जाएगे, जिसका उनके द्वारा परीक्षण कर अपूरित राशि की प्रतिपूर्ति राशि का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाएगा।

उपार्जन एजेन्सियों के दावों की प्रतिपूर्ति

3. उपार्जन एजेन्सियों के दावो की प्रतिपूर्ति चार स्तर पर होगी ।

3.1 **प्रथम प्रतिपूर्ति** :– यह प्रारंभिक reimbursement होगा जिसमें वितरण एजेंसी द्वारा उपार्जन एजेंसियों को आधारभूत (Basic) व्यय की प्रतिपूर्ति, उपार्जन के दौरान, समय सीमा में किया जायेगा.–

क.	मद	वितरण एजेंसी द्वारा उपार्जन एजेंसियों को प्रतिपूर्ति
1.	न्यूनतम समर्थन मूल्य	✓ **प्रथम प्रतिपूर्ति का दर पत्रक राज्य शासन के अनुमोदन से संचालक, खाद्य द्वारा जारी किया जायेगा ।** ✓ eWHR सहित निर्धारित देयक प्राप्ति से 15 दिवस में वितरण एजेंसी द्वारा देय होगा। ✓ उपार्जन एजेंसी 15 दिवस मे एक ही दावा लगाएगी जिससे कार्य पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके । ✓ यह प्रतिपूर्ति पत्रक में उल्लेखित मदवार दर अनुसार अथवा मदवार वास्तविक भुगतान राशि में से जो भी कम हो, अनुसार देय होगा। ✓ निर्धारित देयक का प्रारूप एवं IT Tool भारत सरकार [illegible] किये जाने वाले दावे के अनुरूप होगा ।
2.	प्रासंगिक व्यय का आंशिक भुगतान	
3	समिति कमीशन का आंशिक भुगतान	
4	परिवहन व्यय का आंशिक भुगतान	

3.2 **द्वितीय प्रतिपूर्ति** :– यह प्रतिपूर्ति वितरण एजेंसी द्वारा उपार्जन एजेंसी को निम्नानुसार की जाएगी –

i. निर्धारित प्रारूप में उपार्जन एजेंसी द्वारा अंकेक्षित दावे प्रस्तुत किए जाएगें।

ii. वितरण एजेंसी द्वारा इन दावों का परीक्षण 15 दिवस में कर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

iii. प्रतिपूर्ति का वित्तीय आधार निम्नानुसार होगा.–

- ✓ भारत सरकार की प्रावधानिक लागत पत्रक अनुसार देय होगा.
- ✓ न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं अधिसूचित देय करो की पूर्ण राशि.
- ✓ Acqusition stage के आपरेशन स्तर के शेष मदो में 95 % दर से,
- ✓ प्रथम भुगतान की गई राशि इसमें से घटाई जावेगी।

iv. यह राशि वितरण एजेंसी द्वारा तब भी देय होगी जब कि उसके द्वारा [illegible] लिक्विडेशन नहीं किया गया हो

v. यदि किसी कारणवश वितरण एजेंसी यह राशि निर्धारित समय मे नहीं दे पाती है, तथा स्टॉक प्राप्त कर लेती है, तब उनके द्वारा पूंजी की व्यवस्था होते ही प्रतिपूर्ति की जावेगी।

एवं अन्य स्वीकृत व्यय के साथ साथ वितरण स्तर पर मिलने वाला ब्याज उपार्जन एजेंसी के साथ अनुपातिक रूप में देय होगा। यह ब्याज की राशि संबंधित उपार्जन एजेंसी को जिस न्यूनतम दर पर वितरण एजेंसी ब्याज प्राप्त कर पा रही है उतना ही देय करेगी।

1	संस्था को प्रासंगिक व्यय की शेष राशि	✓ उपार्जन एजेंसी संपूर्ण व्यय का निर्धारित स्वरूप में एक ही दावा लगायेगी जिससे [illegible] बेहतर नियंत्रण रखा जा सके । ✓ वितरण एजेन्सी द्वारा प्रावधानिक आर्थिक लागत पत्रक में ऑपरेशन हेतु देय मदो मे 95% का भुगतान किया जाएगा किन्तु यदि संबंधित मद में वास्तविक भुगतान 95% से कम है तो कम राशि ही देय होगी। ✓ निर्धारित देयक का प्रारूप एवं आई.टी.टूल, वितरण एजेंसी द्वारा भारत सरकार को किये जाने वाले दावे के अनुरूप होगा । ✓ परिवहन व्यय मे से पेनाल्टी की राशि [illegible] होगी ✓ वितरण एजेंसी बारदाने की नोडल एजेंसी होगी तथा जिलेवार वह बारदाना के लिए क्या दर तय करेगी इसका निर्देश उसे संचालक, खाद्य से जारी कराना होगा। ✓ उपार्जन (Acquisition) स्टेज के खाते मे बारदाना का हिसाब भी निर्धारित रूप में देय होगा जिसमे ज्यादा उपयोग किए गए बारादाने की कटौती शामिल होगी। ✓ प्रशासनिक व्यय में मान्य गतिविधियों पर ही राशि की प्रतिपूर्ति की जावेगी एवं विगत वर्ष के निर्धारित प्रतिशत पर अथवा प्रावधानिक लागत
2	संस्था को कमीशन की शेष राशि	
3	संस्था को 15 दिन तक के भंडारण	
4	उपार्जन संस्थाओं को साख सीमा पर देय ब्याज	
5	एजेंसी द्वारा संस्थाओं के लिए ली गई साख सीमा ब्याज (15 दिन से अनधिक)	
6	मण्डी टैक्स	
7	निराश्रित शुल्क	
8	बारदाना व्यय	
9	परिवहन की शेष राशि	
10	प्रशासनिक व्यय	

49

		के 95 प्रतिशत जो भी कम होगा पर देय होगा।

3.3 यदि निस्तारण के दौरान भारत सरकार अथवा उसकी एजेंसी द्वारा कोई कटौत्रा किया जाता है तो वह वितरण एजेंसी द्वारा समायोजित अथवा वसूला जाएगा।

3.4. **तृतीय प्रतिपूर्ति:–** यह भारत सरकार द्वारा अंतिम भुगतान स्वीकृत होने एव राशि प्राप्त होने के उपरान्त वितरण एजेंसी द्वारा स्वयमेव एक माह के अंदर उपार्जन एजेंसी को देय होगा। इसमे से पूर्व में भुगतान की गई समस्त राशि घटाई जावेगी।

i. सभी मदों में अंतिम स्वीकृति में तय दर की शेष राशि,

ii. भारत सरकार को अंतिम लेखे प्रस्तुत करते समय दोनो एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि जो ब्याज की मांग की जा रही है उसमें दोहरी गणना न हो।

iii. भारत सरकार द्वारा अंतिम भुगतान स्वीकृत होने एवं भुगतान प्राप्ति के उपरान्त वितरण एजेंसी द्वारा दावा प्राप्त होने के उपरान्त देय होगा। इसमें से पूर्व मे भुगतान ... समस्त राशि घटाई जावेगी ।

3.5. **चतुर्थ एंव अंतिम प्रतिपूर्ति:–** यह प्रतिपूर्ति दोनों उपार्जन एजेंसी एवं एक वितरण एजेंसी को राज्य शासन के साथ किए गए MOU जिसमें efficiency Parameters के अधीन राज्य शासन से अपूरित राशियों के विरूद्ध प्रत्येक उपार्जन एजेंसी को उनके द्वारा दायर ... के अनुक्रम मे देय होगा ।

i. यह दावे संचालक, खाद्य को प्रस्तुत किए जाएगे।

ii. भारत शासन से अंतिम आर्थिक लागत के निर्धारण उपरात राज्य शासन के समक्ष अपूरित राशियों का लेखा/दावा 02 माह मे तीनों उपार्जन एजेन्सियों द्वारा पृथक-पृथक ... किये जाएगे, जिसका गुण–दोष के आधार पर राज्य शासन द्वारा निराकरण किया जाएगा।

4. Efficiency Parameters में निम्नानुसार बिन्दु शामिल किये जा सकते हैं :–

i. परिवहन लागत में कमी

ii. भारतीय खाद्य निगम के द्वारा अस्वीकृति (Rejection) मे कमी

iii. शॉर्टेज में कमी

iv. ब्याज भार मे कमी

v. लेखा सेटलमेंट मे शीघ्रता

5. उपार्जन एव भुगतान की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन किये जाने के संबध मे आगामी 3 माह में कार्यवाही की जाना होगी जिसमें संयुक्त एसएमईयू (SMEU), ऑनलाईन बिलिंग, जेआईटी से भुगतान, लेखा एवं अंकेक्षण, क्लेम सेटलमेंट आदि के संबध मे प्रकिया बनानी होगी तथा दोनों उपार्जन एजेन्सियो के प्रबध संचालकों की उपस्थिति मे इसका अंतिमीकरण संचालक, खाद्य [illegible] किया जायेगा।

6. राज्य शासन का यह मानना है कि दोनों उपार्जन एजेन्सियाँ उपार्जन (Acquisition) कार्य मे दक्ष हैं तथा सतर्कता के साथ ही उपार्जन का कार्य करते हुए नीति अनुसार स्वीकृति स्तर तक आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण स्थापित करेंगी। यदि परिदान के समय FCI द्वारा सिलाई समुचित रूप से न होने, स्टेंसिल ठीक से न लगने या अन्य किसी भी कारण से कटौती की जाती है तो उसका दायित्व संबधित जिले की उपार्जन एजेंसी का होगा तथा उस राशि के कटौती का समायोजन वितरण एजेन्सी द्वारा उक्त उपार्जन एजेंसी को किए जाने वाले भुगतान मे से किया जावेगा। यदि वितरण एजेंसी द्वारा भुगतान कर दिया गया है, तो इसका कटौत्रा आगे के भुगतान करते समय दिखाया जाकर समायोजित किया जायेगा।

विवादों का निराकरण

7. एजेंसियो के मध्य विवादो का निराकरण की चार स्तरीय व्यवस्था निम्नानुसार होगी–

7.1. प्रत्येक स्तर के निराकरण पर समस्या का एजेण्डा नोट तथा बैठक में लिए [illegible] लिखित कार्यवाही विवरण जारी किये जावेंगे।

7.2. प्रथम स्तर पर जिन बिन्दुओं पर निराकरण नही हो पाता हैं केवल वे विषय ही अगले स्तर पर उठाए जा सकेंगे।

7.3. द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थल अपन आप मे मूल विषय न लेते हुए केवल अपीलीय [illegible] जैसे कार्य करेंगे।

क्रमांक	विवादित बिन्दु	बैठककर्ता सक्षम प्राधिकारी	निराकरण हेतु निर्धारित समयावधि
01	उपार्जन के विवादित बिन्दु	दोनों संस्था के वित्त प्रमुख	प्रति 15 दिवस

6

51

02	विवादित शेष बिन्दु	दोनों संस्था के प्रबंध संचालक	प्रतिमाह
03	उपरोक्त से शेष अनिराकृत बिन्दु	संचालक, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एव उपभोक्ता संरक्षण विभाग	[illegible]
04	उपरोक्त से शेष अनिराकृत बिन्दु	प्रमुख सचिव, खाद्य सहकारिता विभाग से अभिमत प्राप्त कर	प्रति तिमाही

7.4 प्रत्येक विवादित बिन्दुओं में से निर्णित बिन्दुओं पर 15 दिवस में वितरण एजेंसी द्वारा उपार्जन एजेंसी को भुगतान किया जावेगा।

उप सचिव
खाद्य, नागरिक
उपभोक्ता संरक्षण वि—

परिशिष्ट-6

साधिकार समिति

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव सहकारिता	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव कृषि	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव खाद्य	सदस्य
6.	संचालक खाद्य	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय उपार्जन समिति

1.	संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण।	अध्यक्ष
2.	आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं म.प्र. के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	आयुक्त, संस्थागत वित म.प्र. प्रतिनिधि	सदस्य
4.	आयुक्त संचालक, कृषि के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	आयुक्त, भू-अभिलेख के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पो.	सदस्य
7.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन	सदस्य
8.	प्रबंध संचालक एवं आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड	सदस्य
9.	प्रबंध संचालक, अपैक्स बैंक	सदस्य
10.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ	सदस्य
11.	राज्य सूचना अधिकारी NIC	सदस्य

संभाग स्तरीय उपार्जन समिति

1.	संभाग आयुक्त	अध्यक्ष
2.	उपायुक्त भू-अभिलेख	सदस्य
3.	संयुक्त आयुक्त सहकारिता	सदस्य
4.	संयुक्त संचालक कृषि	सदस्य
5.	जोनल मैनेजर, MARKFED	सदस्य
6.	उप संचालक, मण्डी बोर्ड	सदस्य
7.	क्षेत्रीय प्रबंधक MPWLC	सदस्य
8.	जिला आपूर्ति नियंत्रक	सदस्य
9.	क्षेत्रीय प्रबंधक MPSCSC	सदस्य संयोजक

जिला स्तरीय उपार्जन समिति

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
3.	उप संचालक कृषि	सदस्य
4.	उपआयुक्त/सहायक आयुक्त, सहकारी संस्थाएं	सदस्य
5.	जिला सूचना अधिकारी, NIC	सदस्य
6.	महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	सदस्य
7.	जिला विपणन अधिकारी, MARKFED	सदस्य
8.	MPWLC की जिला मुख्यालय की शाखा के प्रबंधक	सदस्य
9.	जिला प्रबंधक MPSCSC	सदस्य
10.	अधीक्षक भू-अभिलेख	सदस्य
11.	सचिव कृषि उपज मण्डी (जिला मुख्यालय की मण्डी के)	सदस्य
12.	जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी	सदस्य सचिव